**विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**
**उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0**
**हल्द्वानी**
**जिला–नैनीताल**

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

**परिवाद संख्या–114/2025**
**पंजीकरण तिथि–25.08.2025**
**निर्णय की तिथि–09.10.2025**

सुनीता देवी परिवादी
पत्नी स्व0 तरसेम लाल
निवास ग्राम–भवानीपुर खुल्बे
थाना व तहसील–रामनगर
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर।

**निर्णय**

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र दिनांकित 24.07.2025 में कहा गया है कि उसके द्वारा एक विद्युत कनेक्शन संख्या–42300892511 भवानीपुर खुल्बे, विद्युत वितरण खण्ड रामनगर जिला–नैनीताल में लिया था जो की उसके नाम पर है, और वह आज भी उसे इस्तमाल कर रही है, और लगातार बिल जमा करती चली आ रही है, परन्तु विद्युत विभाग के कर्मचारी व अधिकारी को परेशान करने की नीयत से उसे बकाया बिल का भुगतान नहीं ले रहे है तथा ऑनलाइन भी कनेक्शन का बिल जमा नहीं हो रहा है। अतः आपसे प्रार्थना है कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर जिला–नैनीताल को आदेशित करें कि वह प्रार्थिनी का विद्युत बिल जमा कर रसीद प्रदान करें।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 13.08.2025 में कहा गया है कि उक्त वाद की जांच उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड (नगर), रामनगर द्वारा की गयी। उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड (नगर), रामनगर के कार्यालय पत्रांक–950/दिनांक 13.08.2025 के आधार पर अवगत कराया है कि श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व0 श्री तरसेम लाल निवासी ग्राम भवानीपुर खुल्बे थाना व तहसील रामनगर, द्वारा संयोजन संख्या/अकाउन्ट नम्बर–42300892511 का बिल नही देने की शिकायत की गयी है। उक्त संयोजन का परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि श्री कुलदीप शिवा, निवासी भवानीपुर खुल्बे द्वारा खण्ड कार्यालय के पत्रांक–4228, दिनांक 09.09.2024 के माध्यम से शिकायती पत्र प्रेषित किया गया था कि उनके फार्म हॉउस में बिना अनुमति

के श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री तरसेम लाला निवासी ग्राम भवानीपुर खुल्बे तहसील व थाना रामनगर, द्वारा उपरोक्त सयोजन लिया गया जिसे काटने का अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया था जिस हेतु श्रीमती सुनीता देवी को इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–811/वि०वि०उ०ख०(न) रा/ दिनाक 07.10.2024 के सम्बन्ध में श्री कुलदीप शिवा द्वारा कि गयी आपत्ति के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, अन्यथा कि स्थिति में विद्युत संयोजन विच्छेदित कर दिया जायेगा। परन्तु श्रीमती सुनीता देवी द्वारा कोई भी पत्र किसी भी स्तर पर प्रेषित न किये जाने के कारण उपरोक्त संयोजन को दिनांक 26.11.2024 को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया है।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/आपत्ति दिनांकित 13.08.2025 में कहा गया है कि उपखण्ड अधिकारी, विद्युत उपखण्ड, रामनगर जिला–नैनीताल के द्वारा शिकायत के उत्तर में यह लिखा गया है कि श्री कुलदीप शिवा निवासी भवानीपुर खुल्बे तहसील रामनगर जिला नैनीताल ने उक्त कनेक्शन को काटे जाने के लिए एक पत्र दिनांक 07.09.2024 को लिखा था, जिसके बाद विपक्षी विद्युत विभाग ने विद्युत कनेक्शन काट दिया।

महोदय इस संबंध में अवगत कराना है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अन्तर्गत नियामक आयोग को विभाग के टैरिफ वह पॉलिसी बनाने का अधिकार है परन्तु उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों व विद्युत अधिनियम की धारा 181 के विपरीत जाकर अधिशासी अभियंता ने उपभोक्ता से पूछे बिना ही विद्युत कनैक्शन काट दिया जो की इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 व इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड का घोर उल्लंघन है, यह संबंध में यह भी अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा अपनी याचिका संख्या डब्लू.पी.एम.एस. 2078/2025 में प्रार्थिनी के पक्ष में आदेश जारी कर रखा है (पत्रावली में कागज संख्या–8/2)। परन्तु फिर भी विद्युत विभाग रामनगर के अधिकारियों ने द्वेषपूर्ण कार्यवाही की है, जिस कारण भी यह मामला आपके समक्ष है, तथा प्रार्थिनी लगातार विद्युत कनैक्शन का भुगतान भी करती चली आ रही है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर गैर कानूनी कृत्य करके अपने दोषों को छुपाने का प्रयास कर रहा है, और जहां पर विद्युत कनेक्शन लगा है, यहां भगवान का मंदिर है, मंदिर का कनैक्शन गलत तरीके से काटने पर ऐसे अधिकारियों को भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रतिआपत्ति स्वीकार कर अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर जिला–नैनीताल को आदेशित करें कि वह अविलम्ब विद्युत कनैक्शन लगाए और इस मामले में अधिशासी अभियंता, रामनगर के खिलाफ विभागीय जांच की संस्तुति करने की कृपा करे।

4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 20.08.2025 की तिथि नियत की गयी। परिवादी उपस्थित हुये विपक्षी द्वारा दूरभाष पर सुनवाई हेतु अनुरोध किया गया। मंच द्वारा दूरभाश पर ही विपक्षी का पक्ष सुना गया।

सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादिनी ने नोटिस दिनांकित 07.10.2024 का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, कनेक्शन लेने हेतु जिस भूमि के कागज लगाए गए हैं वह संयोजन परिसर से इतर है। संयोजन भी तीन गुना जमानत राशि पर दिया गया है अतः संयोजन विच्छेदित किया गया। परिवादिनी द्वारा कहा गया है की भूमि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया अतः उनका संयोजन जिसे नियम विरुद्ध काटा गया है तत्काल पुनः संयोजित करें।

5. परिवादी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 21.08.2025 में कहा गया है कि प्रार्थिनी का एक विद्युत कनैक्शन संख्या–42300892511 भवानीपुर खुल्बे, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर जिला–नैनीताल में लगा हुआ था, जिसे विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर जिला–नैनीताल के अधिकारियों ने उखाड़ दिया है, जबकि मैं इस जगह पर कई वर्षोंसे काबिज हूं, तथा इस स्थान के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड की रिट याचिका संख्या–2078 सन् 2025 में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा मेरे पक्ष में स्टे ऑर्डर पारित किया है (पत्रावली में कागज संख्या–8/2)। जिससे स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल के आदेश के विपरीत जाकर मेरा विद्युत कनैक्शन उखाड़ा गया है मौके पर तत्समय लगे मीटर की फोटो भी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है (पत्रावली में कागज संख्या–8/3)। तथा यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस कनैक्शन को काटने के लिए ना तो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ना किसी राज्य सरकार, ना ही किसी विभाग, और ना ही किसी न्यायालय या फोरम आदेश है, बल्कि मनमाने तरीके से विभागीय अधिकारियों द्वारा हटधर्मिता के आधार पर उपरोक्त कनैक्शन उखाड़ा गया है। विद्युत प्राप्त करना उपभोक्ता का अधिकार है और विद्युत प्रदान करना लाइसेंसी का नैतिक कर्तव्य है, जिसका पतन रामनगर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने कर दिया है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरा विद्युत कनैक्शन तत्काल लगाए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

6. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 10.09.2025 में कहा गया है कि श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व० श्री तरसेम लाल, निवासी भवानीपुर खुल्बे रामनगर, द्वारा की गयी शिकायत के क्रम में संयोजन संख्या/खाता संख्या RR1M449810341/42300892511, प्रश्नगत स्थल पर मन्दिर हेतु संयोजन लिया गया था जिस सम्बन्ध में श्री कुलदीप शिवा निवासी भवानीपुर खुल्बे रामनगर, द्वारा खण्ड कार्यालय के पत्रांक संख्या–4228 दिनांक 09.09.2024 के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था कि उनके फार्म हॉउस में बिना अनुमति के श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व0 तरसेम लाल द्वारा उपरोक्त संयोजन लिया गया है जिसे काट दिया जाये जिस क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–811/वि0वि0उ0ख०(न)रा/ दिनांक 07.10.2024 द्वारा श्री कुलदीप शिवा द्वारा की गयी आपत्ति के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था परन्तु श्रीमती सुनीता देवी द्वारा प्रेषित पत्र का कोई प्रतिउत्तर न दिये जाने के कारण दिनांक 26.11.2024 को उपरोक्त संयोजन को अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया है। आपको यह भी अवगत कराना है कि माननीय उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी के दिनांक 28.08.2025 आदेश के अनुपालन में उपरोक्त स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया निरीक्षण में पाया गया कि वर्तमान में मन्दिर मे सिर्फ मन्दिर की संरचना स्थित है। परन्तु मन्दिर के अन्दर कोई भी पूजा हेतु मूर्ति एवं इत्यादि कुछ भी रखा हुआ नहीं है इससे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त मन्दिर को वर्तमान में पूजा हेतु उपयोग में नही लाई जा रही है एवं श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री स्व० श्री तरसेम लाल, उक्त संयोजन स्थल के समीप निवास नहीं कर रहे है। जबकि उपरोक्त पूर्व में मन्दिर के पास ही निर्मित भवन में निवास करते थे।

7. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/आपत्ति दिनांकित 06.10.2025 में कहा गया है कि अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड रामनगर, जिला–नैनीताल के पत्रांक संख्या–4892 दिनांक 10.09.2025 प्राप्त हुआ, इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि विद्युत विभाग द्वारा कोई आपत्ति हेतु कोई पत्र प्रेषित नहीं किया गया, तथा संयोजन को अस्थायी रूप से विच्छेदन केवल बकाया जमा न होने के कारण किया जा सकता है,

वर्तमान मामले में कोई बकाया नहीं है, और स्थलीय निरीक्षण की रिपोर्ट में लिखा है कि "वर्तमान में सिर्फ मंदिर की संरचना स्थित है, परंतु मंदिर के अंदर कोई पूजा हेतु मूर्ति एवं इत्यादि कुछ भी रखा हुआ नहीं है, इससे यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त मंदिर को वर्तमान में पूजा हेतु उपयोग में नहीं लायी जा रही है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा यह कथन करना बड़ा ही हास्यापद है, विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत केवल लाइसेंसी सुविधा प्रदान कराता है, और मन्दिर की मूर्तियां देखने का अधिकार उनका नहीं है, यदि मंदिर है, तो विद्युत कनैक्शन लगाना होगा यह कही नहीं लिखा है कि मूर्ति के बिना कनैक्शन नहीं मिलेगा, जबकि संबंध में माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल द्वारा भी प्रार्थिनी को स्टे मिला हुआ है। अतः आपसे प्रार्थना है प्रार्थिनी के मंदिर का विद्युत कनेक्शन लगाये जाने की कृपा करें।

8. मंच द्वारा पूर्व में की गई सुनवायी एवं संपूर्ण पत्रावली के अभिलेखों उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया गया। उक्त परिसर पर संपत्ति विवाद माननीय उच्च न्यायालय में वर्तमान में लंबित है। संबंधित विभागीय अधिकारियों की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्तमान में उक्त परिसर का किसी प्रकार से उपयोग नहीं हो रहा है। प रिवादी अथवा उसके परिवार उक्त परिसर में अथवा पास में नहीं रह रहे हैं। प्रतिवादी ने अपने प्रतिउत्तर में भी अपने वहां रहने का अथवा परिसर के प्रयोग का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है अतः मंच के अनुसार विच्छेदित विद्युत संयोजन के पुनः शीघ्र संयोजन की अनिवार्यता प्रतीत नहीं होती तथा वाद खारिज किये जाने योग्य है।

## आदेश

उपरोक्त परिस्थितियों में पत्राव लीपर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेख का प रिशीलन करने पर एवं यह ध्यान में रखते हुए कि परिसर पर संपत्ति विवाद मान नीय उच्च न्यायालय में लंबित है। यह वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः-09/10/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः-09/10/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
# उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
# हल्द्वानी
# जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–119 / 2025
पंजीकरण तिथि–20.08.2025
निर्णय की तिथि–24.10.2025

जी0बी0 पाठक परिवादी
अम्बा विहार
तल्ली हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

## निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि "**G.B. Pathak. resident of Amba Vihar Talli Haldwani, wish to bring to your kind attention an issue regarding the electricity bill issued for the month of July 2025. The bill amounting to Rs. 4.595 appears to be unusually high and does not correspond with my actual electricity consumption during the said period. This kind of increasing bills are being noticed since the smart meter has been installed recently on 26 Apr 2025. I would like to respectfully inform you that I was not residing at my premises for most of the month. which should have resulted in minimal electricity consumption. Moreover, a solar power system was installed at my residence in the previous month, further reducing dependence on the electricity supplied by the grid. Despite this. the current bill reflects a sharp increase in unit consumption as compared to my previous bills. This abnormal reading raises concerns regarding the accuracy of the meter reading or a possible technical fault in the meter. In view of the above, I earnestly request your office to kindly review the meter readings, compare them with past consumption records, and conduct a technical inspection if necessary. I further request that the bill be rectified accordingly, and excess amount charged be adjusted in the upcoming bill. Details of my connection are as follows:**

**Name: G.B. Pathak, SC NO.: 392D123128391, Account No.: 40118441852 , Meter No.: 12039212, Meter Type: 1 Phase or Address: AMBA VIHAR, TALLI HALDWANI, NAINITAL.**

**Kindly look into the matter and take necessary action at the earliest."**

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 29.08.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या–392D23128391 (4.00 KW) का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि उपभोक्ता का विद्युत उपभोग 200 से 300 यूनिट्स का है। माह 08/2025 में उपभोक्ता का बिल दो माह का एक साथ बना है, रीडिंग के आधार पर बिल सही बना है। उपभोक्ता को यदि यूनिट्स अधिक प्रतीत होती है तो वह चैक मापक हेतु आवेदन कर सकता है। रिपोर्ट के आधार पर बिल को संशोधित किया जा सकता है।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांकित 06.09.2025 में कहा गया है कि **"Kindly check meter as already deposited ₹ 100."**
4. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 24.09.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर में सोलर मापक के साथ स्मार्ट मापक लगा है। स्मार्ट मापक की बिलिंग स्वतः ही हो जाती है, इसमें MRI नहीं हो पाती है। शिकायतकर्ता के बिल को संशोधित भी कर दिया गया है। माननीय फोरम से निवेदन है कि उक्त वाद में सोलर मापक MRI प्रस्तुत करने हेतु तिथि विस्तार करने का कष्ट करें।
5. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 24.09.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर में सोलर मापक के साथ लगे मापक की MRI करवा ली गयी है। माननीय फोरम से निवेदन है की उक्त वाद में सोलर मापक MRI आपके समक्ष प्रस्तुत है (पत्रावली में कागज संख्या–10/1 से 10/7)
6. परिवादी द्वारा दिनांक 08.10.2025 को ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत पत्र में कहा गया है कि **"I am serving in Border Security Force and presently committed with my assignment at my duty place. As I had been requested for look in to the matter that my Electricity consumption is in higher side than my actual consumption. I hope on your kind honour that you will consider my case and will take appropriate action and will cosider for refund of extra charged bills also for correct bills so on plse."**
7. परिवादी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 23.10.2025 में कहा गया है कि **"I G.B. Pathak, resident of Amba Vihar, Talli Haldwani, would like to bring to your kind notice that the power consumption as per bills generated from UPCL is as under:**

| No. | Month | Days | Reading (KWH) | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15th Dec 24-15th Jan 25 | 30 | 146 | |
| 2 | 15th Jan -17th Feb | 33 | 140 | |
| 3 | 17th Feb-18th March | 29 | 204 | |
| 4 | 18th March-22th April | 35 | 302 | |
| 5 | 22th April -31st May 25 | 9 | 91 | |
| 6 | May-2025 | 31 | 239 | |
| 7 | June-2025 | 30 | 222 | |
| 8 | July-2025 | 31 | 478 | In higher side |
| 9 | August-2025 | 31 | 302 | In Higher side |
| 10 | Sept-2025 | 30 | 130 | |

But electricity bill units 478 Kwh in July' 2025 and 302 Kwh in Aug' 2025 are in higher side. than actual consumption which is required to be short out. Since a solar panel is already installed at my home even after my request bill is still showing and no any adjustments of solar energy power generated are being adjusted in my current electricity bills required to be updated as my total solar power production till the date is 1.48 MWh which copies also attached. Therefore, it is requested as I am serving in Border Security Force committed with assigned Govt duties may please be exempted for my presence before redressal forum on 24th Oct 2025. I hope and fully faith on your kind honour and appropriate verdict please. Thanking in anticipation."

8. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 08.10.2025 एवं 24.10.2025 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु विपक्षी प्रत्यक्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये परिवादी सुनवाई में अनुपस्थित रहे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी का बीजक बनाकर सितंबर माह में संशोधित किया गया है तथा ₹ 3611.00 का समायोजन भी प्रदान किया गया है। परिवादी को सोलर मापक की एम0आर0आई0 के आधार पर बिल प्रेषित किये गये है, जो कि वास्तविक रीडिंग के आधार पर जारी किये गये हैं। बिल में आयात एवं निर्यात यूनिट स्पष्ट रूप से अंकित है। अतः विपक्षी द्वारा नये मीटर की आयात एवं निर्यात यूनिट के अनुसार दिनांक 12.10.2025 को बिल निर्मित कर शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

## आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की समस्या का समधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–24/10/2025

| | | |
|---|---|---|
| (हिमांशु बहुगुणा) | (तिलक राज भाटिया) | (विष्णु प्रसाद डोभाल) |
| सदस्य (उपभोक्ता) | सदस्य (तकनीकी) | सदस्य (न्यायिक) |

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–24/10/2025

| | | |
|---|---|---|
| (हिमांशु बहुगुणा) | (तिलक राज भाटिया) | (विष्णु प्रसाद डोभाल) |
| सदस्य (उपभोक्ता) | सदस्य (तकनीकी) | सदस्य (न्यायिक) |

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–127 / 2025
पंजीकरण तिथिः–01.09.2025
निर्णय की तिथिः–08.10.2025

मै0 इंडस टावर लिमिटेड, परिवादी
नियर इंडियन ऑयल पंप,
नैनीताल रोड़ काठगोदाम, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(नगर)।

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया हैः– We have permanent electric connection having account No- 40117090037, 23KW connected load in the name of Indus Towers limited at location KATHGODAM under HALDWANI TOWN Division.

Issued bill for the month of Jun-25 in which abnormal 38820 units consumption shown and bill raised for the amount Rs-246,938/-. Such huge consumption is not possible in any condition for 23kw connection for 2 month.

We have multiple times approach to division for correction of bill but no response is received.

Energy bills are continue generating and wrongly late payment surcharges are also claiming.

**Therefore, we request you to kindly register our grievance before your kind level Forum and provide us justice. Bill correction not done by the division and new bill also generated hence no late payment surcharge need to be claim from us. Necessary compensation also need to be provide us as we are mentally harassed by the Discom.**

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र दिनांक 03.09.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा अपनी शिकायती पत्र इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। इस सम्बन्ध में उपभोक्ता को उनके द्वारा वांछित मीटर रीडिंग एवं बिल आगणन की Details दी गयी (प्रति संलग्न)।

3. परिवादी द्वारा अपनी आपत्ति पत्र ईमेल 18.09.2025 में कहा गया है कि The reply of the licensee is highly objected in following manner

- Since irregular billing was going, concocted reading was being entered in the system. It is clear that as per MRI, reading on 30-Apr-25 was 1142945 but in bill it was shown 1123405 and difference of 19540 units consumption period need to be identified for proper unit rate charging & previously 12Months consumption history need to be export through meter testing, MRI.
- Before charging of such abnormal consumption in regular bill, a prior information was to be provide us along with detail of last 12 months consumption as per meter test report/MRI & at lest 30 days prior notice was to be served for such reading accumulation cases. As detail of this consumption is not provided to us as on date and amount directly debited in bill due to which late payment surcharge levied on us, our applicable prompt payment rebate forfeited. Hence bill must be revise or levied late payment surcharge need to be refund along with applicable prompt payment.
- Necessary action must be taken against the employee of the licensee who have done such negligence because not only we are harassed but a huge loss also done to the licensee as its revenue not collected in timely. Hence to avoid such cases in future necessary action must be take.
- Necessary compensation whatever deemed fit need to be allow to us.

4. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र दिनांक–04.10.2025 में कहा गया है कि:– उपभोक्ता की माह 10/2024 से माह 08/2025 के बिलिंग हिस्ट्री एवं एम0आर0आई रीडिंग के अवलोकन करने से ज्ञात है कि उपभोक्ता की रीडिंग बराबर, जो कि 1080724 (KWH) से 1172121 (KWH) है।

चूँकि एम0आर0आई रीडिंग लिये जाते समय टावर अधिकॉश बन्द पाया जाता है. जिस कारण उन माहों के बिल एन०ए० रीडिंग के आधार पर निर्मित किये जाते है. परन्तु जब बिल एम०यू० आधारित बनाये जाते है, सिस्टम में एन0ए0 एडस्टमेंट के साथ बिल बनते है। जिसमे यदि उपभोक्ता द्वारा अपने बिल स–समय जमा किये जाते है तो एल0पी0एस0 धनराशि भुगतान योग्य नहीं होती है, साथ ही यदि उपभोक्ता द्वारा बिलों का त्वरित भुगतान किया जाता है तो पर छूट/रिबेट का लाभ भी प्राप्त हो जाता है।

5. परिवादी द्वारा दिनांक 06.10.2025 को अपनी आपत्ति में कहा गया है कि The reply of the licensee is highly objected as following

- There was no any notices was served to us if premise was locked. As per MRI it is clear that concocted reading was being entered in the billing system.
- Due to such improper reading Jun'25 bill was generated abnormal. As balance reading adjustment was done & it treated as normal billing is not justified. In such case a proper notice along with detail of consumption and a sufficient time of 1 month was to be provided us before debit this adjustment in bill.
- Due to such abnormal billing LPS levied on us which also need to be credit because we can't be attributed on due negligence by the meter reader.
- Necessary action need to be take against such negligence which performed by the billing staff of the licensee because we are harassed unnecessarily.
- Necessary compensation need to be allow us on account of wrong billing.

6. मंच द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक 08.10.2025 की तिथि नियत की गई। विपक्षी उपस्थित जबकि परिवादी अनुपस्थित रहें। विपक्षी के तर्क सुने गए। पत्रावली का अवलोकन करने एवं विपक्षी के तर्क सुनने के पश्चात मंच के अनुसार परिवादी को भेजे गए बीजक सही हैं तथा वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 08.10.2025

| | | |
|---|---|---|
| (हिमांशु बहुगुणा)<br>सदस्य (उपभोक्ता) | (तिलक राज भाटिया)<br>सदस्य (तकनीकी) | (बिष्णु प्रसाद डोभाल)<br>सदस्य (न्यायिक) |

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्‌घोषित।

दिनांकः– 08.10.2025

| | | |
|---|---|---|
| (हिमांशु बहुगुणा)<br>सदस्य (उपभोक्ता) | (तिलक राज भाटिया)<br>सदस्य (तकनीकी) | (बिष्णु प्रसाद डोभाल)<br>सदस्य (न्यायिक) |

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
## उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
## हल्द्वानी
## जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–132 / 2025
पंजीकरण तिथिः–08.09.2025
निर्णय की तिथिः– 09.10.2025

ईश्वरी प्रसाद,
निवासी–पंचशील इन्क्लेव,
जवाहर ज्योति, दमुवाढूंगा,
हल्द्वानी जिला–नैनीताल

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)।

विपक्षी

## निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया हैः– सविनय निवेदन है कि मैं वर्ष 2017 से उत्तराखंड पावर कारपोरेशन का नियमित उपभोक्ता हूँ। मैं लगातार बिना विलंब के अपना विद्युत बिल समय–समय पर ऑनलाइन जमा करता रहा हूँ। किन्तु मुझे बार–बार गलत, अधिभारित एवं अत्यधिक राशि वाले बिल दिए जा रहे हैं, जिसकी सूचना देने पर भी विभाग द्वारा कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया।

घटनाक्रम निम्न प्रकार है–

1. दो वर्ष पूर्व एक माह का बिल ₹ 27,000 से अधिक आया, जिसकी शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं हुई और विवश होकर मैंने वह बिल ऑनलाइन जमा किया।
2. दिसंबर 2024 में पुनः ₹18,335 का बिल आया, जिसकी शिकायत लिखित में उपखण्ड कार्यालय में दी। चेक मीटर लगाने हेतु आवेदन किया, 25 जनवरी

2025 को कच्चे मीटर लगाया गया, लेकिन 3 माह तक चेक नहीं किया गया और बिल बढ़ता रहा।

3. मार्च 2025 में कनेक्शन विच्छेद की कार्रवाई की गई, जिससे मेरेबा गलि बच्चे भयभीत हो गए।
4. मैंने 22 मार्च 2025 को मीटर की **MRI** कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया तथा 4 अप्रैल 2025 को सीएम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की, परन्तु समाधान नहीं हुआ।
5. जुलाई 2025 में नया मीटर लगाया गया, और कर्मचारियों द्वारा आश्वासन दिया गया कि बिल संशोधित कर दिया जाएगा।
6. इस भरोसे में मैंने 20 जुलाई 2025 को ₹24,390/– का भुगतान कर दिया।
7. इसके बावजूद 27 अगस्त 2025 को ₹71,24/– का नया बिल दिया गया, जिसमें मई 2025 से राशि दर्शाई गई है।
8. मैंने पुनः 03 सितंबर 2025 को अधिशासी अभियंता (ग्रामीण), हल्द्वानी को लिखित शिकायत दी, परन्तु अब तक समाधान नहीं हुआ।

समस्याएँ:

- ✓ विभाग द्वारा बार–बार गलत एवं अधिभारित बिल दिए गए।
- ✓ समय पर शिकायत करने के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं की गई।
- ✓ मानसिक तनाव एवं पारिवारिक असुविधा का सामना करना पड़ा।
- ✓ बिना किसी दोष के मुझे बार–बार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

प्रार्थना/निवेदनः

माननीय फोरम से मेरा निवेदन है कि–

1. विभाग को मेरे सभी बिलों का सही आकलन कर संशोधित बिल जारी करने हेतु निर्देशित किया जाए।
2. मैंने जो अतिरिक्त भुगतान (अधिभारित बिलों के रूप में) किया है, उसे समायोजित/वापस किया जाए।
3. विभाग द्वारा की गई लापरवाही एवं मानसिक उत्पीड़न हेतु उचित क्षतिपूर्ति **(compensation)** दिलाई जाए।
4. भविष्य में ऐसे गलत बिल न भेजे जाएं और उपभोक्ता की शिकायत का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
5. जब तक विभाग द्वारा मुझे सही/संशोधित बिल नहीं दिया जाता तब तक मेरा कनेक्शन विच्छेदित किया जाये।

2. पक्षीदि विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है उपभोक्ता द्वारा गकी कासित क ओधार विधुत संयोजन संख्या–**391E111164036**, मापक सख्या –**GU**514081 (4.00 **KW**) का अवलोकन करने पर ज्ञात है की सभी बिल रीडिंग के आधार पर सही बने हैं।

पूर्व माह 03/2025 मे जब कासिकत द्वारा बिल से सम्बंधित गलत बिल की शिकायत की गयी है तो बिल को तत्काल की संसोधित किया गया है। इससे पूर्व उपभोक्ता द्वारा अपने मापक को चेक मापक के द्वारा चैक करवाया गया था जिसमें पुराना मापक सही चलता पाया गया है। वर्तमान मे मापक की **MRI** हेतु कार्यवाही की जा चुकी है।

3. परिवादी द्वारा आपनी आपत्ति में दिनांक 22.09.2025 को कहा गया है कि सविनय निवेदन है कि में वादी– ईश्वरी प्रसाद, निवासी पंचशील इन्क्लेव, जवाहरज्योति, दमुवां दूँगा, हल्द्वानी, अपनी उपभोक्ता शिकायत संख्या 132/2025 के संदर्भ में यह आपत्ति पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।
दिनांक 06 सितंबर 2025 को मैंने अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड (ग्रामीण) हल्द्वानी के विरुद्ध बिल में गड़बड़ी क संबंधे में शिकायत माननीय फोरम को प्रस्तुत की थी। दिनांक 18 सितंबर 2025 को विभाग द्वारा दिए गए उत्तर में तथ्यों छुपाकर माननीय फोरम को गुमराह करने का प्रयास किया गया है।

आपत्तियाँ निम्नवत हैं।

(1) विभाग यह स्पष्ट क कि माह दिसंबर 2024 में ₹18,335 का बिल किस आधार पर जारी किया गया। क्या उपभोक्ता डिफाल्टर था अथवा क्या उपभोक्ता के पूर्व के बिल लंबित थे?

(2) मैं पिछले 10 माह से लगातार बिल संशोधन के लिए गुहार लगा रहा हूँ, किंतु विभाग न तो उचित कार्यवाही कर रहा है और न ही फोरम तथ्यात्मक स्थिति से अवगत करा रहा है।

(3) दिनांक 22 मार्च 2025 को उपखड कायलय मिं चेक मीटर परिणाम से असहमति दर्ज कर मीटर की एमआरआई (**MRI**) कराने हेतु आवेदन दिया था। किंतु 06 सितंबर 2025 तक विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी और 18 सितंबर 2025 को माननीय फोरम में अचानक समय विस्तार की मांग कर दी। यह विभागीय लापरवाही का परिचायक है।

(4) विभाग ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है यदि मीटर पाठ्यांक सही पाए गए, तो दिसंबर 2024 में अचानक ₹18,000 से अधिक का बिल क आया।

(5) मैं स्वय एक सरका रीवक हूँ तथा लगभग 120 किलोमीटर दूर क्षि विभाग में कार्यरत हूँ। विभाग की उदासीनता एवं गुमराह करने की प्रवृत्ति से मैं मान करूप से अत्यंत परेशान हूँ।

(6) मैं वर्ष 2018 से अद्यतन तक के सभी बिलों का स्पष्ट विवरण चाहता हूँ, क्योंकि विभाग की इसी कार्यशैली के कारण मुझे पूर्व में भी दिनांक 26 जुलाई 2021 को ₹27,772 का एक महीने का बिल चुकाना पड़ा था।

अतः निवेदन है कि माननीय फोरम विभाग को निर्देशित करे कि वह दिसंबर 2024 से अब तक के बिलों की वास्तविक एवं स्पष्ट स्थिति प्रस्तुत करे तथा उपभोक्ता को लगातार गुमराह करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाए। यदि विभाग इसी प्रकार की लापरवा करता रहा, तो मैं विवश होकर माननीय न्यायालय की शरण लेने को बाध्य हो जाऊगा।

4. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी कियत के आधार विधुत संयोजन संख्या– **391E111164036**, मापक संख्या –**GU514081** (4.00**KW**) का अवलोकन करने पर ज्ञात है की सभी बिल रीडिंग के आधार पर सही बने हैं। पूर्व माह 03/2025 मे जब शिकायतकर्ता द्वारा बिल से सम्बंधित गलत बिल की शिकायत की गयी है तो बिल को तत्काल की संसोधित किया गया है। इससे पूर्व उपभोक्ता द्वारा अपने मापक को चेक मापक के द्वारा चेक करवाया गया था जिसमें पुराना मापक सही चलता पाया गया है। स्थलीय निरिक्षण करने पर ज्ञात है की उपभोक्ता का विधुत उपभोग एक सामान्य तरह का है। मा० फोरम से निवेदन है कि पूर्व तथा वर्तमान बिल यूनिट्स के उपभोग को देखते हुए अपना निर्णय ने का का कष्ट करें।

5. प वारि पनी आपत्ति में कहा गया कि मैं ईश्वरी प्रसाद, निवासी पंचशील इन्क्लेव, जवाहरज्योति, दमुवादूँगा (हल्द्वानी), नैनीताल, अपने विद्युत कनेक्शन से संबंधित शिकायत संख्या 132/2025 के संदर्भ में यह जवाबी शिकायत पत्र माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।

दिनांक 4 अक्टूबर 2025 को अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण), हीरानगर, हल्द्वानी द्वारा माननीय फोरम में उत्तर प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रति मुझे ईमेल द्वारा प्राप्त हुई है। परंतु विभाग के उत्तर से मैं पूर्ण रूप से असहमत हूँ तथा निम्न बिंदुओं पर माननीय फोरम से विभाग से स्पष्ट स्पष्टीकरण की माँग करता हूँ:–

(1) विभाग से बिंदुवार उत्तर की माँ

दिनांक 6 सितंबर 2025 को न यनीफोरम किए गए मेरे शिकायत पत्र के प्रत्येक बिंदु पर विभाग से क्रमवार, वस्तुनिष्ठ और प्रमाणित उत्तर प्रस्तुत करने की कृपा कीए।

(2) दिसंबर 2024 के बिल पर आपत्ति

जब विभाग स्वयं स्वीकार कर चुका है कि सभी बिल रीडिंग के आधार पर बनाए गए, तो फिर दिसंबर 2024 में अचानक ₹18,335 से अधिक का बिल कैसे बना? कृपया इसका आधार फोरम के समक्ष रखा जाए।

(3) बिल संशोधन की प्रक्रिया स्पष्ट की जाए

विभाग ने अपने पत्र में लिखा है कि 3 मार्च 2025 को बिल संशोधित किए गए। कृपया यह स्पष्ट किया जाए कि किन आधारों और दस्तावेजों के अनुसार संशोधन हुआ और उसकी विस्तृत रिपोर्ट फोरम के सामने प्रस्तुत की जाए। इस प्रकरण सुनवाई पारिवारिक सदस्यों की उपस्थिति में रखी जाए।

(4) मीटर जाँच और **MRI** से संबंधित आपत्ति

a) विभाग का यह कहना कि "चैक मीटर में पूर्व मीटर सही पाया गया" असत्य है। **MRI Report** मांगी जाये, मेरे द्वारा 22 मार्च 2025 को अपने मीटर की **MRI** कराने हेतु एसडीओ, कमलुवागांजा को आवेदन दिया गया, परंतु आज तक **MRI** नहीं कराई गई। इसका कारण जाना जाये, पुराना मीटर 1 जुलाई 2025 को बदला गया और सीलिंग रिपोर्ट में अंक कटे पाए गए जो स्पष्ट रूप से मीटर के खराब होने का प्रमाण है।

b) विभाग ने यह भी उल्लेख किया कि स्थलीय निरीक्षण किया गया। कृपया बताया जाए –निरीक्षण की तिथि क्या थी ? किस कर्मचारी ने किया ? उपभोक्ता या परिवार के किस सदस्य को इसकी सूचना दी गई? इस संपूर्ण तथ्यों की जाँच फोरम के माध्यम से कराई जाए।

(5) भुगतान के बावजूद बिल जोड़ना

1.जुलाई 2025 को नया मीटर लगने और 20 जुलाई 2025 को ₹24,390 का भुगतान किए जाने के बावजूद अगस्त 2025 में मई माह का पुराना बिल क्यों जोड़ा गया ? इस संबंध में विभाग से तर्कसंगत जवाब दिलाया जाए।

(6) मुख्यमंत्री पोर्टल की शिकायत

मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर की गई मेरी शिकायत पर विभाग ने जो उत्तर दर्ज किया है, उसे भी फोरम के सामने प्रस्तुत करवाने की कृपा की जाए।

(7) मानसिक व आर्थिक क्षति हेतु मुआवजा

विगत 11 माह से विभाग कीपरवा एंव क्रिय की अनदेखी के कारण मुझे गंभीर मानसिक पीड़ा एवं आर्थिक क्षति हुई है। अतः माननीय फोरम से निवेदन है कि मुझे विभाग से उचित मुआवजा प्रदान किया जाए।

(8) परिवार को हुई असुविधा संबंधी तथ्य

मैं एक सरकारी इंटर कॉलेज, धौलादेवी ब्लॉक, जनपद अल्मोड़ा में प्रवक्ता (भौतिक विज्ञान) पद पर कार्यरत हूँ। मार्च 2025 में विभाग की रिकि क्सेन टीम मेरे घर पहुँच गई थी, जिससे मेरे नाबालिग बच्चों में भय का माहौल उत्पन्न हुआ। उस समय **MRI** आवेदन की प्रति दिखाकर कटौती से बचा था। अब पुनः ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है।

(9) कनेक्शन जारी रखने और अधिभार से छूट

जब मैंने 6 सितंबर 2025 को फोरम में शिकायत की है, तब तक विभाग द्वारा निर्णय आने तक मेरा कनेक्शन चालू रखा जाए और हर माह लगाए जा रहे अतिरिक्त अधिभार को पूर्णतः निरस्त किया जाए।

प्रार्थनाः

मान यनीफोरम से सविनय अनुरोध है किपर्युक्त सभी बिंदुओं पर विभाग से विस्तृत स्पष्टीकरण प्राप्त कर दोनों न्यायोचित निर्णय पारित किया जाए।

6. पक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार विधुत संयोजन संख्या – **391E111164036** मापक संख्या – **GU514081** (4.00 **KW**) का अवलोकन करने पर ज्ञात है की सभी बिल रीडिंग के आधार पर सही बने हैं। पूर्व माह 03/2025 मे जब शिकायतकर्ता द्वारा बिल से सम्बंधित गलत बिल की शिकायत की गयी है तो बिल को तत्काल ही संशोधित किया गया है। इससे पूर्व उपभोक्ता द्वारा अपने मापक को चेक मापक के द्वारा चेक करवाया गया था जिसमें पुराना मापक सही चलता पाया गया है। वर्तमान मे मापक की **MRI** हेतु कार्यवाही की जा चुकी है।

7. दिनांक 08.10.2025 को उभय पक्ष मंच में सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। पक्षकारों के कथन सुने एवं पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री का गहनता से अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि पूर्व के कुछ बिल चक्रों में एन0ए0 के बिल बनाए गए हैं जबकि पांच बिल चक्रों में शून्य यूनिट खपत के बिल बनाए गए हैं। दिनांक 01.07.2025 को परिवादी का मापक मीटर रीडिंग 17306

पर बदला गया जबकि दिनांक 23.02.2025 के बिल चक्र में ही मीटर की रीडिंग 17306 हो चुकी थी। अर्थात 23.02.2025 से 01.07.2025 तक मीटर आई0डी0एफ0 रहा है। पांच बिल चक्रों में '0' यूनिट खपत दर्शाये जाने से अन्य चक्रों में दर्शायी खपत पर टैरिफ की उच्च दर के भार से परिवादी के बीजक बने हैं। अतः ऐसी बीजकों को संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा। यह संशोधन दिनांक 25.12.2023 से 23.02.2025 के मध्य हुई वास्तविक खपत के औसत आधार पर **[(17306-13303=4003)/14=286** यूनिट प्रतिमाह] उचित टैरिफ स्लैब से किया जाना तर्कसंगत है।

## आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का दिनांक 25.12.2023 से मीटर बदले जाने की तिथि 01.07.2025 तक का बीजक 286 यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से समय–समय पर लागू उचित टैरिफ स्लैब दरों के अनुसार उक्त अवधि में परिवादी द्वारा जमा कराया गयी धनराशि का समायोजन करते हुए करे। इस प्रकार संशोधित बीजक पर कोई विलंब भुगतान अधिभार देय नहीं होगा। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 09.10.2025

| | | |
|---|---|---|
| (हिमांशु बहुगुणा) | (तिलक राज भाटिया) | (बिष्णु प्रसाद डोभाल) |
| सदस्य (उपभोक्ता) | सदस्य (तकनीकी) | सदस्य (न्यायिक) |

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 09.10.2025

| | | |
|---|---|---|
| (हिमांशु बहुगुणा) | (तिलक राज भाटिया) | (बिष्णु प्रसाद डोभाल) |
| सदस्य (उपभोक्ता) | सदस्य (तकनीकी) | सदस्य (न्यायिक) |

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
## उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
## हल्द्वानी
## जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

**परिवाद संख्या–133 / 2025**
**पंजीकरण तिथि–08.09.2025**
**निर्णय की तिथि–09.10.2025**

अमित काण्डपाल परिवादी
पुत्र लक्ष्मी दत्त कांडपाल
पूर्वी खेड़ा गौलापार
नियर–IDBI बैंक,
पो0ओ0–गौलापार
जिला–नैनीताल।

**बनाम**

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि मेरा कनैक्शन संख्या–382B421131256, खाता सं0–41600049672 जो कि लक्ष्मी दत्त कांडपाल के नाम से है। आपको अवगत कराना है कि पिछले कुछ माह से मेरा विद्युत बिल बढ़कर आ रहे है पहले मेरे बिल ₹ 1500.00 तक आता था परन्तु अचानक मेरा बिल बढ़कर ₹ 12444.00 आ गया है। जिस कारण मैं बिल जमा नहीं कर पा रहा हूं। महोदय मैं अपना विद्युत बिल ठीक कराने के लिये विभाग के कई चक्कर लगा चुका हूँ परन्तु हर बार यही कहा जाता है कि अगली बार ठीक कर दिया जायेगा। परन्तु ना तो मुझे बिल सही करके दिया जाता है और न ही मुझे सही जानकारी दी जाती है। आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि मेरे द्वारा अपने परिसर पर चैक मापक भी लगवाया गया (चैक मापक सीलिंग की प्रति संलग्न)। परन्तु अभी भी मुझे सही बिल प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि मेरे परिसर में कोई भी ऐसा उपकरण नहीं लगा है जो कि अधिक बिजली की खपत करता हो। महोदय से निवेदन है कि मेरा बिल सही करवा कर मुझे न्याय दिलाये। ताकि मैं समय से अपना बिल भर सकूं।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 16.09.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन करने पर ज्ञात है कि उपभोक्ता के समस्त

बिल एम0यू0 आधारित निर्मित है। तथापि उपभोक्ता के परिसर पर मेन मापक की एम0आर0आई0 रिपोर्ट प्रेषित है।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्त्तर/आपित्त पत्र में कहा गया है कि दिनांक 16.09.2025 को ईमेल के माध्यम से आपके कार्यालय द्वारा मुझे विभाग का उत्तर पत्र प्राप्त हुआ है। जिसमें विभाग द्वारा कहा गया है कि उपभोक्ता के समस्त बिल एम.यू. आधारित है। महोदय आपके संज्ञान में लाना है कि मैं विभाग के कथन से संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि मेरी बिजली की खपत इतनी नहीं है और न ही मेरे परिसर में ऐसे विद्युत उपकरण है जो बिजली की इतनी खपत कर सकें। महोदय मेरी बिल हिस्ट्री का अवलोकन करने से भी प्रदर्षित है कि माह 07/2025 से पूर्व की मेरी विद्युत की खपत अधिकतम 264 यूनिट रही है व उससे पूर्व उससे भी कम रही है अचानक से मेरी यूनिट 1547 कैसे हो गयी और अगले माह 08/2025 में पूनः 220 हो गयी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुझे अचानक से एक माह के लिये ही इतनी अधिक विद्युत की आवश्यकता हो गयी। अतः महोदय से निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाया जाये व मुझे संशोधित बिल भी दिया जाये ताकि मैं अपना बिल समय से जमा कर सकूं।

4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 25.09.2025 की तिथि नियत की गयी थी। सुनवाई हेतु उभय पक्ष प्रत्यक्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। सुनवाई के दौरान मंच द्वारा, विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि विपक्षी परिवादी के संयोजन की MRI मंच में दिनांक 04.10.2025 तक प्रस्तुत करे।

5. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 29.09.2026 में कहा गया है कि विद्युत परीक्षण खण्ड हल्द्वानी को उपभोक्ता के परिसर में मापक की एम0आर0आई0 रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है जिनके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत मापक सिंगल फेज से संबंधित होने के कारण स्थापित मापक की वर्तमान एम0आर0आई0 रिपोर्ट भी पूर्वत्तर ही प्राप्त हो रही है।

6. मंच द्वारा वाद पर पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 08.10.2025 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु उभय पक्ष प्रत्यक्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। पक्षकारों के तर्क सुने गये।

7. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत परिवादी के मीटर की एम0आर0आई0 रिपोर्ट का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि जुलाई माह में अधिकतम मांग 1.200 कि0वा0 रही है जबकि अगस्त माह में 2.380 कि0वा0 तथा सितम्बर माह में 1.920 कि0वा0 है। एम0आर0आई0 रिपोर्ट में जुलाई माह से पूर्व की M.D. (Maximum Demand) प्रदर्शित नहीं हो रही है। परिवादी ने दिनांक 20.06.2025 से 23.07.2025 तक की खपत 1547 यूनिट पर आपत्ति की है। मीटर में अधिकतम मांग से स्पष्ट है कि यदि पूरे माह में यह मांग 24 घंटे प्रतिदिन भी दर्शित रहती है तो भी एक माह में 1547 यूनिट की खपत सम्भव नहीं है। कंज्यूमर हिस्ट्री से भी स्पष्ट है कि अगस्त से पूर्व एवं अगस्त के बाद के महीनों में भी कभी इतनी खपत नहीं रही है। अतः परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री एवं एम0आर0आई0 रिपोर्ट के आधार पर यह अवधारित किया जा सकता है कि जुलाई माह की बिलिंग अवधि में किसी समय परिवादी के मापक ने असामान्य व्यवहार किया है जिस कारण 1547 यूनिट का बिल बना है जिसे संशोधित किया जाना एवं इस मीटर को बदला जाना न्यायसंगत होगा।

<u>आदेश</u>

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को भेजे गए दिनांक 20.06.2025 से 23.07.2025 अवधि के बीजक को निरस्त करते हुए 242 यूनिट {(264+232/231)/3=242} की खपत का बिल जारी करे। अगस्त माह के बीजक में लगे विलम्ब भुगतान अधिभार को भी समाप्त करे तथा संशोधित बिल जारी करे। परिवादी के मापक को बदलकर नया मापक/स्मार्ट मीटर स्थापित करे। विपक्षी निर्णय/आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–09/10/2025

| | | |
|---|---|---|
| (हिमांशु बहुगुणा) | (तिलक राज भाटिया) | (विष्णु प्रसाद डोभाल) |
| सदस्य (उपभोक्ता) | सदस्य (तकनीकी) | सदस्य (न्यायिक) |

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–09/10/2025

| | | |
|---|---|---|
| (हिमांशु बहुगुणा) | (तिलक राज भाटिया) | (विष्णु प्रसाद डोभाल) |
| सदस्य (उपभोक्ता) | सदस्य (तकनीकी) | सदस्य (न्यायिक) |

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
## उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
## हल्द्वानी
## जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–134/2025
पंजीकरण तिथि–09.09.2025
निर्णय तिथि–24.10.2025

मोहन सिंह थार — परिवादी
इन्द्रानगर रानीबाग
काठगोदाम
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी।

## निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि उसके मकान में विद्युत कनेक्शन संख्या–381551206621 लगा हुआ है। जिसका बिल प्रार्थी द्वारा लगातार जमा किया जाता रहा है। उसके मकान पर दिनांक 17.02.2025 को विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाया गया तथा उसके बाद से प्रार्थी को अप्रैल का बिल 1423 यूनिट का, मई का बिल 1188 यूनिट का दो माहों का बिल ₹ 17603.00 का दिया गया है। स्मार्ट मीटर की खराबी के कारण प्रार्थी का दो माह बिल इतना अधिक आया है। आपसे अनुरोध है की प्रार्थी के बिल को ठीक करवा कर न्याय दिलवाने की कृपा करें।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 11.09.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन करने पर ज्ञात है कि उपभोक्ता के समस्त बिल एम0यू0 आधारित निर्मित है। तथापि उपभोक्ता द्वारा संबंधित उपखंड के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर चैक मापक स्थापित कराया जा सकता है।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांकित 19.09.2025 में कहा गया है कि बिल अधिक आने के बाद से जब मैं विद्युत कार्यालय गया तो विभाग द्वारा चैक मीटर लगाने की सलाह दी गयी। मेरे मकान में विभाग द्वारा दिनांक 23.05.2025 को चैक मीटर लगाया गया तथा दिनांक 20.08.2025 को मीटर उतारा गया। जिसमें कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि दोनों मीटर बराबर चलते पाया गया। आश्चर्य की बात यह है कि चैक मीटर लगते ही स्मार्ट मीटर सही तरीके से काम करने लगा तथा मई 2025 से आगे के बिल पुराने मीटर की तरह ठीक आने लगे सिर्फ 01.03.2025 से 01.04.2025 व 01.04.2025

से 01.05.2025 के बिल ही 1423 यूनिट व 1188 यूनिट के आये है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्मार्ट मीटर लगाने वाले कर्मचारियों के द्वारा गलत कनैक्शन कर दिया गया है जिस कारण मीटर तेज चलने लगा व चैक मीटर लगाते समय वह तार सही कर दिया गया है। आप से विनती है कि मेरे कनैक्शन की पिछले सालों की खपत यूनिट को व चैक मीटर लगाने के बाद की खपत को देखते हुए मेरे 03/2025 व 04/2025 के बिलों को ठीक करवाने की कृपा करें आपकी अति कृपा होगी।

4. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांक 29.9.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता के समस्त बिल एम0यू0 आधारित निर्मित है एवं उपभोक्ता के परिसर पर माह 02/2025 को स्मार्ट मापक स्थापित हो चुका है, जिसमें उपभोक्ता द्वारा स्मार्ट मापक के टर्मिनल गलत होने के कारण बिल अधिक आने की सम्भावना, तकनीकी पहलू के आधार पर गलत है, क्योंकि स्मार्ट मापक के टर्मिनल को गलत जोड़ने जाने पर मापक कार्य नहीं करेगा।
5. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 08.10.2025 की तिथि नियत की गयी। उभय पक्ष सुनवाई हेतु भौतिक रूप से उपस्थित हुए। मंच द्वारा दोनों पक्षों के तर्क सुने गये। सुनवाई के दौरान मंच द्वारा परिवादी को निर्देशित किया गया कि वह ₹10000.00 विभाग में जमा करें व विपक्षी को आदेशित किया गया कि परिवादी के मापक की MRI दिनांक 16.10.2025 तक मंच में प्रस्तुत करे व अक्टूबर माह से निर्णय होने तक Current Bill लेना सुनिश्चित तथा संयोजन विच्छेदित ना करें।
6. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रसतुत उत्तर पत्र दिनांकित 15.10.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित स्मार्ट मापक की वांछित एम0आर0आई0 रिपोर्ट प्रेषित है। उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री एवं एम0आर0आई0 रिपोर्ट के अवलोकन करने पर ज्ञात है कि उपभोक्ता के समस्त बिल एम0यू0 आधारित एवं एम0आर0आई0 रीडिंग के अनुसार निर्मित हैं।
7. मंच द्वारा वाद पर पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.2025 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु उभय पक्ष भौतिक रूप से उपस्थित हुये। मंच द्वारा पक्षकारों के तर्क सुने गये व पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। उभय पक्षों के तर्क सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के पर पाया गया की परिवादी के मीटर में अंकित 02.03.2025 से 12.05.2025 के मध्य की खपत अतार्किक और उक्त अवधि से पूर्व के समय एवं इसके बाद के समय से काफी अधिक है। यह खपत परिवादी के उसी समय (02.03.2025 से 15.05.2025) में अंकित अधिकतम भार 4.18/3.33 किलोवाट से भी किसी प्रकार से उपयुक्त नहीं है। मंच के अनुसार परिवादी को 08.04.2025 एवं 12.05.2025 की अवधि के दोनों बिल 12.05.2025 के बाद के तीन बिल चक्र के औसत आधार {(220+212+196)/3=210 यूनिट प्रति बिल चक्र}पर संशोधित किया जाना न्यायोचित है। अतः वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

## आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी के बिल दिनांकित 08.04.2025 एवं 12.05.2025 को 210 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें। उक्त संशोधित बिलों में कोई विलम्ब भुगतान अधिभार देय नहीं होगा। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी

आदेश / निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–24 / 10 / 2025

| | | |
|---|---|---|
| (हिमांशु बहुगुणा)<br>सदस्य (उपभोक्ता) | (तिलक राज भाटिया)<br>सदस्य (तकनीकी) | (विष्णु प्रसाद डोभाल)<br>सदस्य (न्यायिक) |

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–24 / 10 / 2025

| | | |
|---|---|---|
| (हिमांशु बहुगुणा)<br>सदस्य (उपभोक्ता) | (तिलक राज भाटिया)<br>सदस्य (तकनीकी) | (विष्णु प्रसाद डोभाल)<br>सदस्य (न्यायिक) |

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–137 / 2025
पंजीकरण तिथिः–16.09.2025
निर्णय की तिथिः– 09.10.2025

मुजीब उर रहमान,
रहमान निवास, मसाला चक्की के सामने,
गौजाजली,उत्तर हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल,

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन 0लि
हल्द्वानी(नगर)।

विपक्षी

निर्णय

1. कशिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है:– I am Mujeeb Ur Rahman. I have received an electricity bill of ₹7,107 for a period of 62 days, which is unusually high compared to our previous bills. Based on our billing history, we have never received such a high amount, and I believe this bill does not reflect the correct meter reading.

Additionally, no one from UPCL visited our residence to take the meter reading, and the bill was sent to me via WhatsApp without full details or a proper breakdown.

I request you to kindly review and rectify the bill at the earliest, as I am unable to pay this incorrect amount. I am also sharing the message received from UPCL for your reference.

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन करने ज्ञात है कि उपभोक्ता का बीजक कमशः माह 05/2025, 332 यूनिट, माह 06/2025 शून्य यूनिट एवं माह 7/25 से 08/25 तक 1015 यूनिट के निर्मित हैं, जिससे स्पष्ट है कि माह 08/2025 के बिल की रीडिंग 22.05.2025 से 09.09.2025 तक की 1015 यूनिट है, जो कि उपभोक्ता की विगत माहों के औसत रीडिंग के समतुल्य है, (बिलिंग हिस्ट्री की छायाप्रति संलग्न)।
3. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 29.08.2025 को आपने पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता का बिल जो कि माह 08/2025 में दो माह की खपत सहित निर्मित को तीन माह में विभाजित कर आधिक्य धनराशि रू0 654.00 को सी0सी0बी0आर0 के माध्यम से समायोजित किया गया है। लेजर की प्रति संलग्न है।
4. विपक्षी/विभाग द्वारा संशोधित बिल की प्रति एवं उत्तर पत्र की प्रति परिवादी को भेजी गई, परिवादी द्वारा कोई आपत्ति मंच में प्रस्तुत नहीं की गई है अतः यह माना जा सकता है कि परिवादी विपक्षी द्वारा किए गए शिकायत के समाधान से संतुष्ट है।

## आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरुप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 09.10.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 09.10.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
# उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
# हल्द्वानी
# जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

**परिवाद संख्या–139/2025**
**पंजीकरण तिथि–20.09.2025**
**निर्णय तिथि–09.10.2025**

मनीषा जोशी
पत्नी मयंक जोशी
दमुवाढूंगा, कुशवाह लाइट के पीछे
काठगोदाम
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी। विपक्षी

## निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकातती पत्र में कहा गया है कि मैं मनीषा जोशी पत्नी मयंक जोशी, UPCL का उपभोक्ता हूं। मेरी उपभोक्ता संख्या–381GY08134008 है, तथा मेरा पता दमवाढुंगा बंदोबस्ती, कुशवाहा लाइट के पीछे, काठगोदाम, नैनीताल, उत्तराखण्ड–263126 है। मैंने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना) के अंतर्गत छत पर सोलर पैनल इंस्टॉल करवाया था। इंस्टॉलेशन की तारीख है, तथा योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर, है। इंस्टॉलेशन के बाद, UPCL द्वारा मेरा पुराना 2 kW मीटर 3 kW नेट मीटर (सीरियल नंबरः LST512762) से बदल दिया गया, जो योजना के अंतर्गत ही लगाया गया था। दुर्भाग्यवश, सोलर पैनल लगने के बाद से नेट मीटर ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। इसकी डिस्प्ले में समस्या है, जिसके कारण रीडिंग सही ढंग से प्रदर्शित नहीं हो रही है। परिणामस्वरूप, मेरा बिजली का बिल नहीं बन पा रहा है, और मुझे अनावश्यक परेशानी हो रही है। यह समस्या UPCL के अधिकारियों ने स्वयं मेरी जांच के दौरान बताई है यदि कोई रेफरेंस नंबर हो, तो उल्लेख करें, जैसे तारीख और अधिकारी का नाम,। UPCL ने मुझे सूचित किया है कि यह मीटर वारंटी अवधि में है, इसलिए इसका नया/मरम्मत मुफ्त होनी चाहिए। फिर भी, सोलर पैनल का विक्रेता– Greenage Energy Solutions (फोनः 91 96906 66444 पताःमहिला अस्पताल के सामने, बरेली रोड, बनभूलपुरा, हल्द्वानी, नैनीताल–263139, उत्तराखंड)।

मुझसे ₹ 5000.00 की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि वारंटी क्लेम के बाद ₹3500.00 लौटा देंगे। यह पूरी तरह अनुचित और शोषणपूर्ण है, क्योंकि मीटर योजना के अंतर्गत लगाया गया है और वारंटी UPCL/योजना के दायरे में आती है। विक्रेता को कोई अग्रिम राशि नहीं देनी चाहिए। मैंने इस समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं, लेकिन कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली। Tata कस्टमर केयर (टोल–फ्री नंबर 1800–419–8777) से संपर्क किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। PM सूर्य घर योजना हेल्पलाइन (1800–180–0005) और पोर्टल पर शिकायत दर्ज की, लेकिन अभी तक कोई फॉलो–अप नहीं। UPCL कार्यालय में मौखिक शिकायत की, लेकिन लिखित कार्रवाई नहीं हुई। यह समस्या मेरी दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है, क्योंकि बिना बिल के मैं बिजली कनैक्शन खोने का डर महसूस कर रही हूं। PM सूर्य घर योजना का उद्देश्य सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, न कि उपभोक्ताओं को परेशान करना। इसलिए, मैं आपसे निम्नलिखित मांग करती हूं:

1. मीटर (LST 512762) की तत्काल जांच करवाकर वारंटी के तहत मुफ्त में बदलवाएं या ठीक करवाएं।
2. विक्रेता को निर्देश दें कि वह मुझसे कोई धन न मांगे और यदि लिया है तो लौटाए।
3. लंबित बिलों को सही रीडिंग के आधार पर उत्पन्न करें और कोई जुर्माना न लगाएं।
4. इस शिकायत पर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करें और मुझे लिखित रिपोर्ट दें।

यदि इस पर शीघ्र समाधान न हुआ, तो मैं ऊर्जा विभाग, उपभोक्ता फोरम, या कोर्ट में अपील करूंगी, तथा सभी संबंधित खर्चों की भरपाई की मांग करूंगी। कृपया इस शिकायत को प्राथमिकता दें।

2. GREENAGE ENERGY SOLUTION द्वारा प्रस्तुत पत्र में कहा गया है कि आपकी बताई हुई समस्या–नेट मीटर की डिस्पले में रीडिंग न दिखना–से हम पूरी सहानुभूति रखते है। जैसा कि आप जानती हैं, आपके पैनल का तथा मीटर का इंस्टॉलेशन UPCL द्वारा टेस्ट कराकर किया गया था। उस उपरांत मीटर में खराबी आने पर आपने हमसे संपर्क किया और मीटर बदलवाने हेतु कहा।

हम आपको स्थिति स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे:

1. इंस्टॉलेशन तथा मीटर का प्रारम्भिक टेस्ट UPCL द्वारा किया गया था और उस समय मीटर सही पाया गया था। लेकिन बाद में मीटर की डिस्पले रीडिंग नहीं दिख रही है– जिसकी वजह से बिलिंग प्रभावित हो रही है।
2. ऐसे मामलों में faulty (खराब) मीटर की तुरन्त उपलब्धता नहीं होती। UPCL या वितरक से हमें तुरन्त faulty/रिप्लेसमेंट मीटर प्राप्त नहीं हो पाता है।
3. इसी कारणवश, मीटर बदलने के प्रारम्भिक खर्च और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये हमनें ग्राहक से ₹ 5,000.00 (अग्रिम) मांगा था। यह अग्रिम इसलिये लिया जा रहा है तकि मीटर उपलब्ध होते ही हम तत्काल बदलने का काम कर सके–न उपभोक्ता को बार–बार ट्रैवल या देरी का सामना करना पड़े।

Scanned with OKEN Scanner

4. आपसे स्पष्ट किया जाता है कि यह राशि स्थायी शुल्क नहीं है। जसै ही हमें faulty/रिप्लेसमेंट मीटर प्राप्त होगा और मीटर लगाकर UPCL/प्राधिकरण द्वारा सत्यापन हो जाएगा, हम मीटर लगाने के वास्तविक खर्च (इस्टॉलेशन/लेबर खर्च) को अलग करके बाकी की राशि आपको वापस कर देगें। (यदि पहले से कोई वास्तविक इंस्टॉलेशन चार्ज लगता है तो वही कटौती की जाएगी।)
5. हमारी प्राथमिकता उपभोक्ता की बाधा रहित सेवा है। किसी भी तरह की असुविधा के लिए हम क्षमाप्रार्थी हैं और पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते है। कृपया यदि आप सहमत हों तो हम आगे की प्रकिया आरम्भ कर दें और आपको हर प्रमुख कदम पर सूचित करते रहेंगे।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 26.10.2025 में कहा गया है कि मैं मनीषा जोशी पत्नी मयंक जोशी, UPCL का उपभोक्ता हूं। मेरी उपभोक्ता संख्या 381GY08134008 है, तथा मेरा पता दमवाढूंगा बंडोबस्ती, कुशवाहा लाइट के पीछे, काठगोदाम, नैनीताल, उत्तराखंड–263126 है। मैंने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छत पर सोलर पैनल इंस्टॉल करवाया था। इंस्टॉलेशन के बाद, UPCL द्वारा मेरा पुराना 2 kW मीटर 3 kW नेट मीटर (सीरियल नंबर–LST 512762) से बदल दिया गया था।

मैंने दिनांक 19 सितंबर 2025 को इस मंच को एक शिकायत पत्र भेजा था (विषय–PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लगे दोषपूर्ण नेट मीटर की डिस्प्ले समस्या के कारण बिजली बिल न बनने एवं विक्रेता द्वारा अनुचित धन मांगने संबंधी शिकायत), जिसमें मैंने मीटर की डिस्प्ले समस्या, बिल न बनने और विक्रेता द्वारा ₹ 5000.00 की अनुचित मांग का उल्लेख किया था। उस शिकायत के बाद की घटनाएं इस प्रकार हैं:

दिनांक 23 सितंबर 2025 को, विक्रेता (Greenage Energy Solutions, फोनः+9196906 66444, पताःमहिला अस्पताल के सामने, बरेली रोड, वनभूलपुरा, हल्द्वानी, नैनीताल– 263139, उत्तराखंड) की मांग पर मैंने ₹ 5000.00 का भुगतान कर दिया। विक्रेता ने यह मांग मौखिक रूप से ही नहीं, बल्कि लिखित रूप में भी की थी। भुगतान के मात्र 1 घंटे बाद ही UPCL का एक कर्मचारी मेरे घर आया और मीटर की रीडिंग लेकर चला गया। दिनांक 24 सितंबर 2025 को मेरा बिजली का बिल उत्पन्न हो गया। जांच से पता चला कि मीटर में कोई खराबी नहीं थी। यह पूरी तरह कार्यरत था, और विक्रेता ने पैसे ऐंठने के लिए झूठी समस्या बताई थी। इससे मेरे समय की बर्बादी हुई और मुझे मानसिक तनाव हुआ। जब मैंने विक्रेता से इसकी शिकायत की, तो उन्होंने ₹ 5000.00 वापस कर दिए, लेकिन इससे पहले हुई परेशानी का कोई समाधान नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त Tata Power Renewable Energy (Tata Care) ने भी मीटर की जांच की थी और कहा था कि मीटर खराब है। उनका वर्क ऑर्डर नंबर 00773120 है (संलग्न दस्तावेज देखें)। लेकिन बाद में साबित हुआ कि मीटर ठीक था, जो झूठी जानकारी का प्रमाण है। इस झूठी समस्या के कारण मेरा बिजली का बिल 1 जुलाई 2025 के बाद 2 महीने 24 दिन विलंब से (24 सितंबर 2025 को) आया, जिसकी वजह से मुझे अतिरिक्त बिल का भुगतान करना पड़ रहा है (देर से बिल आने के कारण संभावित जुर्माना या बढ़ी हुई राशि)।

Scanned with OKEN Scanner

यह स्पष्ट है कि विक्रेता ने योजना के अंतर्गत लगे मीटर की वारंटी का दुरुपयोग कर मुझे धोखा देने की कोशिश की, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अनुचित व्यापार प्रथा है। UPCL के कर्मचारियों की मिलीभगत भी संदिग्ध लगती है, क्योंकि भुगतान के तुरंत बाद रीडिंग ली गई। Tata Care की झूठी रिपोर्ट ने भी समस्या को बढ़ाया। इससे PM सूर्य घर योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। मैंने इस समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त प्रयास किए हैं:

1. विक्रेता से मौखिक रूप से शिकायत की, जिसके बाद पैसे वापस मिले, लेकिन कोई माफी या मुआवजा नहीं।

2. UPCL कार्यालय में दोबारा संपर्क किया, लेकिन कोई लिखित कार्रवाई नहीं हुई।

3. Tata Power Renewable Energy (Tata Care) से संपर्क किया, जहां वर्क ऑर्डर नंबर 00773120 जारी किया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

यह घटना मेरी दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है, क्योंकि मैंने अनावश्यक तनाव, समय गंवाया और अतिरिक्त बिल का बोझ उठाया। इसलिए, मैं आपसे निम्नलिखित मांग करती हूं:

1. विक्रेता (Greenage Energy Solutions) के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, जैसे लाइसेंस निलंबन या जुर्माना, ताकि अन्य उपभोक्ताओं के साथ ऐसा न हो।
2. UPCL को निर्देश दें कि वे मीटर से संबंधित ऐसी घटनाओं की जांच करें और यदि कर्मचारियों की मिलीभगत पाई जाए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
3. Tata Power Renewable Energy (Tata Care) की झूठी रिपोर्ट की जांच करें और यदि दोषी पाए जाएं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
4. मुझे मानसिक उत्पीड़न, समय की बर्बादी, परेशानी और अतिरिक्त बिल भुगतान के लिए ₹15,000.00 (पंद्रह हजार रुपये) का मुआवजा प्रदान करें (इसमें विलंबित बिल के कारण हुई अतिरिक्त राशि शामिल)।
5. लंबित या विलंबित बिलों को समायोजित करें और कोई जुर्माना न लगाएं।
6. इस शिकायत पर 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करें और मुझे लिखित रिपोर्ट दें।

यदि इस पर शीघ्र समाधान न हुआ, तो मैं ऊर्जा विभाग, उपभोक्ता फोरम, या कोर्ट में अपील करूंगी, तथा सभी संबंधित खर्चों की भरपाई की मांग करूंगी। कृपया इस शिकायत को प्राथमिकता दें। धन्यवाद।

4. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 29.09.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत दोषपूर्ण नेट मापक के संबंध में शिकायत की गई है। उक्त संबंध में अवगत कराना है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं का मापक वेंडर के माध्यम से संयोजित होता है, जिसमें मापक के खराबी एवं रख–रखाव से संबंधित अनुबंध संबंधित वेंडर एवं उपभोक्ता के मध्य होता है तथापि उपभोक्ता की शिकायती पत्र के आधार पर संबंधित वेंडर को मापक के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है।

5. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 08.10.2025 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुये जबकि परिवादी अनुपस्थित रहे। विपक्षी के तर्क

Scanned with OKEN Scanner

सुने गये व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का सम्यक रूप से परिशीलन किया। सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा परिवादी के विद्युत बीजक की प्रति मंच के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की बिलिंग संबंधी समस्या का समाधान कर दिया गया है। जिस कारण वाद की कार्यवाही आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद निस्तारित किया जाता है।

## आदेश

विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिल संबंधित शिकायत का समाधान करने के फलस्वरुप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—09/10/2025

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता) | (तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी) | (विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—09/10/2025

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता) | (तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी) | (विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

Scanned with OKEN Scanner

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद आल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–140 / 2025
पंजीकरण तिथि–23.09.2025
निर्णय तिथि–24.10.2025

आनन्द राम टम्टा
पंचशील इनक्लेव
प्रेमपुर लोश्ज्ञानी
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि मेरी बंद दुकान का मीटर बिल 620 यूनिट आया मैंने चैक मीटर भी लगाया उसमें 01 यूनिट आया चैक मीटर से पहले 262 का बिल आया था अभी का बिल ₹ 5800.00 आया है। अतः महोदय जी से निवेदन है कि विभाग को निर्देशित कर मेरे बिल को संशोधन करने का कष्ट करें मैं कई बार फूलचौड़ विद्युत विभाग कार्यालय में भी गया और कई बार कालू साई बाबा वाले ऑफिस मी गया कोई कार्यवाही नहीं हुई।
2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 29.09.2025 में कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा माननीय फोरम में की गयी शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या–396K609279969 (3 किलोवाट) के बिल का अवलोकन किया गया। साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में बिल तथा पुराने मापक पर लगाये गये चैक मापक से संबंधित बात कही गई है। फोरम के माध्यम से प्राप्त सीलिंग में विद्युत परीक्षण खंड द्वारा स्पष्ट लिखा है कि चैक मापक बराबर चलता पाया गया है। दिनांक 14.06.2025 को ही मापक बदल दिया गया है साथ ही नये मापक से बिल रीडिंग के आधार पर सही बन रहे हैं। शिकायत से संबंधित समस्त अभिलेख माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत है।
3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 08.10.2025 की तिथि नियत की गई थी। उभय पक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हुये। सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी को निर्देशित किया गया की परिवादी के मापक की एम0आर0आई0 रिपोर्ट दिनांक 16.10.2025 तक मंच में प्रस्तुत करें।

4. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांक 16.10.2025 में कहा गया है कि उपरोक्त मापक की एम0आर0आई0 कर ली गई है जो कि माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।
5. मंच द्वारा वाद पर पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.2025 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु उभय पक्ष मंच में उपस्थित हुये। मंच द्वारा दोनों पक्षों के तर्क सुने गये व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्ययें/अभिलेखों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। सुनवाई में परिवादी द्वारा सीलिंग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये जबकि विपक्षी ने परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री एवं मीटर की एम0आर0आई0 रिपोर्ट की हार्ड कॉपी प्रस्तुत की। उपरोक्त प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी का पुराना मापक संख्या–U123841 (रीडिंग 104) दिनांक 14.06.2025 को बदलकर नया मापक संख्या–U225100 प्रारंभिक रीडिंग शून्य पर स्थापित किया गया (सीलिंग प्रमाण पत्र के अनुसार) बिलिंग हिस्ट्री में दिनांक 13.07.2025 को मीटर रीडिंग 608 दर्शायी गयी है। परिवादी ने इस रीडिंग पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि जब दुकान बंद है तो फिर एक माह में 608 यूनिट की खपत कैसे संभव है। साक्ष्य स्वरूप एम0आर0आई0 का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि मीटर संख्या–U225100 की रीडिंग दिनांक 26.12.2023 को 621 थी जबकि यह मीटर परिवादी के यहां 14.06.2025 को स्थापित किया गया था तथा सीलिंग में प्रारंभिक रीडिंग शून्य भरी गयी है अर्थात MRI से यह साबित होता है कि मीटर बदलते समय उपभोक्ता के साथ धोखा करते हुए IR 621 के स्थान पर शून्य लिख दिया गया है। विपक्षी से ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की अपेक्षा की जाती है। साथ ही एम0आर0आई0 के आधार पर परिवादी का बीजक संशोधित किया जाना न्यायोचित है।

## आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के मीटर बदले जाने की तिथि दिनांक 14.06.2025 को नए मापक की प्रारंभिक रीडिंग 621 Kwh तथा पुराने मापक की रीडिंग 104 Kwh के आधार पर परिवादी का बिल संशोधित करे जिस पर कोई विलम्ब शुल्क अधिभार देय नहीं होगा। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–24/10/2025

| | | |
|---|---|---|
| (हिमांशु बहुगुणा)<br>सदस्य (उपभोक्ता) | (तिलक राज भाटिया)<br>सदस्य (तकनीकी) | (विष्णु प्रसाद डोभाल)<br>सदस्य (न्यायिक) |

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।

दिनांकः–24/10/2025


| | | |
|---|---|---|
| (हिमांशु बहुगुणा)<br>सदस्य (उपभोक्ता) | (तिलक राज भाटिया)<br>सदस्य (तकनीकी) | (विष्णु प्रसाद डोभाल)<br>सदस्य (न्यायिक) |

**विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**
**उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0**
**हल्द्वानी**
**जिला–नैनीताल**

कोरम 1– विष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

**परिवाद संख्या–141/2025**
**पंजीकरण तिथि–24.09.2025**
**निर्णय की तिथि–09.10.2025**

सुनील कुमार जोशी परिवादी
पुत्र सुरेश चन्द्र जोशी
गुफा महादेव, नियर नैना देवी मन्दिर
तल्ली नैनीताल
जिला–नैनीताल।

**बनाम**

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 7 जून 2024 को स्वयं के नाम पर उपरोक्त मीटर संख्या–42400552929 के नम्बर पर 1 मीटर आवंटित किया गया परंतु निजी कारण से जून से लेकर 1 दिसंबर 2024 तक उपभोक्ता अपने पैतृक आवास जिला–बागेश्वर चला गया वहां से आकर 26 दिसंबर 2024 को उपभोक्ता द्वारा विद्युत मीटर का संयोजन करा लिया गया उसके तकरीबन एक माह के बाद 21 जनवरी 2025 को तकनीकी खराबी के कारण मीटर जल गया जब 22 फरवरी 2025 को नए मीटर के संयोजन भी विभाग द्वारा मेरे निवास पर कर दिया गया। 20.05.2025 को मीटर रीडर के द्वारा कुल ₹ 2147.00 का बिल उपभोक्ता को दिया गया लेकिन जब उपभोक्ता इस बिल को जमा करने गया तो उसे बताया गया कि आपका बिल का कनैक्शन नम्बर नहीं खुल रहा है। विभाग में प्रार्थना पत्र देकर जब कनैक्शन खुलवाया तो उपभोक्ता को 20.09.2025 को कल 2543 यूनिट का बिल उपभोक्ता को दिया गया। जिसका कुल देय ₹ 14711.00 है। विभाग के पूछे जाने पर उपभोक्ता को कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। यदि 7 जून 2024 को विद्युत मीटर आवंटित हुआ तो 7 जून से लेकर

26 दिसंबर 2024 तक केवल विद्युत मीटर का चार्ज उपभोक्ता को देय होना चाहिए था। यदि 26 दिसंबर 2024 से 21 जनवरी 2025 तक यदि विद्युत मीटर की प्रा0 पाठ्यांक ही 4403 KWH है तो 1 माह की यूनिट 2543/120 कैसे हो गयी। (विभाग द्वारा दी गई प्रति संलग्न जिसमे विद्युत मीटर का प्रा0 पाठ्यांक शून्य न होकर 4403 KWH)। जबकि 1 जून 2025 से 20 सितंबर 2025 तक अपने निवास पर रहते हुए कुल 120 यूनिट का उपयोग किया गया। बिना मीटर रीडर के द्वारा रीडिंग नोट के बिना ही रीडिंग 2543।

अध्यक्ष महोदय आप से अनुरोध है कि आप उपभोक्ता के प्रार्थना पत्र पर सहानुभूति पूर्वक विचार करके इस विवाद का निपटारा करने की कृपा करें ताकि उपभोक्ता खपत से अपने बिल का भुगतान कर सके। क्योंकि उपभोक्ता बी0पी0एल0 श्रेणी से आता है जिसके कारण वह मानसिक तनाव का कारण यह बिल भुगतान बना हुआ है। कष्ट हेतु धन्यवाद।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 30.09.2025 में कहा गया है कि कन्ज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार उपभोक्ता के परिसर पर 03 किलोवाट का घरेलू संयोजन (संख्या–591E221807296) दिनांक 07.06.2024 को निर्गत किया गया है। उपभोक्ता द्वारा दिनांक 22.01.2025 को जले मापक की रिपोर्ट ऑन लाईन दर्ज की गयी है। जिसके उपरान्त अवर अभियन्ता की आख्या अनुसार उपभोक्ता का मापक दिनांक 05.02.2025 को बदल दिया गया है और सीलिंग प्रपत्र पर मापक की अंतिम रीडिंग को डिस्प्ले वॉश दर्शाया गया है। कन्ज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार दिनांक 20.09.2025 को प्रथम बिल निर्गत किया गया जिसकी वर्तमान रिडिंग 113 है। सिस्टम द्वारा 2430 आंकलित युनिट जोड़कर बिल को ₹ 14711.00 का बनाया गया है। विद्युत बिल में ₹ 799.00 जले हुऐ मापक का शुल्क भी जोड़ा गया है।
3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 08.10.2025 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु उभय पक्ष प्रत्यक्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। दोनों पक्षों के तर्क सुने गए एवं संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच के अनुसार मापक जलने से पूर्व की अवधि का आकलन मापक बदले जाने के बाद भी वास्तविक खपत के आधार पर किया जाना न्यायसंगत होगा। अतः बीजक में सुधार अपेक्षित है। वाद स्वीकार किए जाने योग्य है।

## आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का बीजक दिनांक 07.06.2024 (नये संयोजन की तिथि से) 05.02.2025 (जले मापक बदले जाने की तिथि तक) को मापक बदले जाने के बाद की खपत के औसत अनुसार संशोधित करें। संशोधित बीजक में कोई विलम्ब अधिभार देय नहीं होगा। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत

ऑम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–09/10/2025

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता) | (तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी) | (विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–09/10/2025

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता) | (तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी) | (विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

**विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**
**उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0**
**हल्द्वानी**
**जिला–नैनीताल**

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज माटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

**परिवाद संख्या–142/2025**
**पंजीकरण तिथि–24.09.2025**
**निर्णय तिथि–08.10.2025**

योगेश सिंह बिष्ट — परिवादी
द्वारा महेन्द्र सिंह
ऊंचापुल गली नं0–05
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

**निर्णय**

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांकित 24.09.2025 में कहा गया है कि मेरा विद्युत बिल बहुत अधिक आया है। मकान के मालिक लोग मुंबई में रहते हैं। मैं यहां पर चौकीदारी (देखभाल) करता हूं, मुझे यहां पर एक कमरा दिया हुआ है। पिछले 1 साल से मेरा बिजली का बिल ₹ 800.00 से लेकर ₹ 1300.00 के बीच में आता था। जून में मेरा बिजली का बिल ₹ 31066.00 आ रहा है। फिर मैंने इसकी शिकायत दर्ज करी जिसके आधार पर मेरा चैक मीटर लगाया गया उसके बाद मेरा मीटर खराब पाया गया तो मीटर बदला गया जिससे नये मीटर की रीडिंग ठीक आ रही है। बिजली बिल सुधार के लिए मैं कमलवागांजा भी गया लेकिन वहां पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अतः आपसे विनती है कि मेरी समस्या का समाधान करें।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 29.09.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा अपनी शिकायत में बिल से संबंधित समस्या कही गयी है बिल का अवलोकन करने पर ज्ञात है कि माह 07/2025 को 3247 यूनिट्स तथा माह 08/2025 में 436 यूनिट्स पर बिल प्रेषित किया गया है। माह 07/2025 में प्रेषित किया गया बिल रीडिंग के आधार पर सही बनाया गया है। दिनांक 25.07.2025 को उपभोक्ता का खराब मापक को बदल भी दिया गया है। शिकायतकर्ता के बिल से संबंधित समस्त अभिलेख माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत हैं।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांकित 03.10.2025 में कहा गया है कि मेरा बिजली का बिल बहुत ही अधिक आ गया था। जबकि मेरे पिछले 1 साल से ₹ 800.00 से ₹ 1300.00

के बीच में ही बिल आता था। अब जून में मेरी बिजली का बिल ₹ 31066.00 आ रहा है। जिसको ठीक करवाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया पर कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 15–20 दिन पहले मेन मीटर की MRI के लिए प्रार्थना पत्र लिखा था और उसका अभी तक कुछ पता नहीं है। और आज दिनांक 03.10.2025 को फिर से मैंने MRI के लिए प्रार्थना पत्र लिख कर दिया है। कृपया करके मेरी समस्या का समाधान करे। मैं बहुत परेशान हो गया हूं।

4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 08.10.2025 की तिथि नियत की गई। सुनवाई हेतु पक्षकार प्रत्यक्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुए। पक्षकारों के तर्क सुने गये व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री का अवलोकन करने पर पाया गया कि बिलिंग हिस्ट्री में दिनांक 14.07.2025 को अंकित खपत 3247 है, जो कि असामान्य है, विभागीय पत्र दिनांकित 29.09.2025 में यह भी स्वीकार किया गया है कि उपभोक्ता का मापक खराब पाया गया, जिसे दिनांक 25.07.2025 को बदल दिया गया है। उपभोक्ता के मापक बदलने के सीलिंग प्रमाण पत्र में भी "DISPLAY WASH" अंकित है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मंच के अनुसार उपभोक्ता का बिल दिनांक 08.06.2025 से 25.07.2025 तक पुरानी खपत 16.03.2025 से 06.06.2025 के औसत {(127+141+192)/3=153 यूनिट प्रतिमाह} आधार पर संशोधित किया जाना चाहिए।

## आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का बीजक दिनांक 08.06.2025 से 25.07.2025 तक का बीजक 153 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर संशोधित करे। दिनांक 25.07.2025 के बाद के बीजक नये मीटर की वास्तविक रीडिंग पर संशोधित करें। उक्त संशोधित बीजक में कोई विलम्ब शुल्क अधिभार देय नहीं होगा। विपक्षी निर्णय/आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–08/10/2025

| | | |
|---|---|---|
| (हिमांशु बहुगुणा) | (तिलक राज भाटिया) | (विष्णु प्रसाद डोभाल) |
| सदस्य (उपभोक्ता) | सदस्य (तकनीकी) | सदस्य (न्यायिक) |

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–08/10/2025

| | | |
|---|---|---|
| (हिमांशु बहुगुणा) | (तिलक राज भाटिया) | (विष्णु प्रसाद डोभाल) |
| सदस्य (उपभोक्ता) | सदस्य (तकनीकी) | सदस्य (न्यायिक) |

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
# उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
# हल्द्वानी
# जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–143/2025
पंजीकरण तिथिः–25.09.2025
निर्णय की तिथिः– 09.10.2025

हरीश चन्द्र, परिवादी
निवासी–पश्चिम खेड़ा गौलापर हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल,

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(नगर)।

## निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है:– सविनय निवेदन है कि मैं हरीश चन्द्र, निवासी पश्चिमी खेड़ा गोलपार हल्द्वानी, उपभोक्ता संख्या–**382B421075544** अकाउंट नंबर 40113849616 आपसे यह शिकायत करना चाहता हूँ कि मेरे बिजली बिल में निरंतर त्रुटि आ रही है।

   पिछली बार जब ₹ 7720 का अधिक बिल आया था, तब मैं स्वयं UPCL कार्यालय जाकर अधिकारियों से मिला/मिली था/थी। वहाँ उपस्थित अधिकारी ने आश्वासन दिया था कि मुझे यह राशि अभी जमा नहीं करनी है, और अगली बार बिल में इसका समायोजन कर सही बिल भेजा जाएगा।

किन्तु अब वर्तमान में ₹ 13742 का अत्यधिक बिल भेजा गया है, जो कि पूरीतरह अनुचित एवं अस्वीकार्य है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि न तो पुराने बिल की कोई **Adjustment** की गई और न ही किसी त्रुटि का सुधार किया गया है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया मेरे बिजली बिल की जाँच कर इसे सही किया जाए तथा पूर्व में किए गए आश्वासन के अनुसार **Adjustment** किया जाए।

साथ ही कृपया मुझे स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराया जाए कि इतनी अधिक राशि किस आधार पर निर्धारित की गई है। आपकी सहायता हेतु मैं सदा आभारी रहूंगा/रहूंगी।

2. विपक्षी/विभाग में आपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता की बिलिंग हिस्ट्री के अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि उपभोक्ता के समस्त बिल **MU** आधारित निर्मित है, जिसका उपभोक्ता द्वारा स–समय भुगतान किया जा रहा है।

3. दिनांक 8.10.2025 को उभय पक्ष मंच में सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। परिवादी ने कंज्यूमर हिस्ट्री के आधार पर कहा कि मीटर रीडर ने कुछ बिल बिना रीडिंग लिए ही बनाए हैं, जिनमें कुछ बिल एन0ए0 के तथा कुछ शून्य यूनिट खपत के हैं। इससे टैरिफ के उच्च स्लैब पर बिलिंग हुई है। साथ ही जुलाई 2025 के बाद अभी तक कोई रीडिंग नहीं ली गई। विपक्षी द्वारा कहा गया कि पूर्व में नवंबर 2024 में बिल संशोधित कर उचित टैरिफ स्लैब पर बनाए गए हैं, परंतु मार्च 2025 में पुनः शून्य यूनिट पर बिल बना दिया गया, जिसके लिए मीटर रीडिंग कंपनी को चेतावनी जारी की जाएगी। विपक्षी ने कहा कि 27.01.2025 के बाद से वर्तमान तक के बीजक औसत आधार पर निर्मित कर उचित टैरिफ स्लैब के बनाये जाने पर परिवादी को राहत दी जा सकती है।

4. मच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एव पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारों की सुनवाई एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों क अेवलोकन के बाद मंच का मत है कि दिनांक 28.01.2025 से वर्तमान तक की खपत को मासिक औसत आधार पर विभाजित करते हुए उचित टैरिफ स्लैप से परिवादी का बीजक संशोधन किया जाना न्यायोचित होगा।

## आदेश

परिवादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी द्वारा परिवादी को भेजे गए बीजक दिनांकित 30.03.2025, 31.05.2025 एवं 31.07.2025 को निरस्त किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का बीजक दिनांक 28.01.2025 से वर्तमान तक की खपत को मासिक औसत आधार पर विभाजित करते हुए उचित टैरिफ स्लैब दर पर बिल संशोधित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर कोई विलंब भुगतान

अधिभार देय नहीं होगा। विपक्षी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर आदेश की अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— 09.10.2025

| | | |
|---|---|---|
| (हिमांशु बहुगुणा)<br>सदस्य (उपभोक्ता) | (तिलक राज भाटिया)<br>सदस्य (तकनीकी) | (बिष्णु प्रसाद डोभाल)<br>सदस्य (न्यायिक) |

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः— 09.10.2025

| | | |
|---|---|---|
| (हिमांशु बहुगुणा)<br>सदस्य (उपभोक्ता) | (तिलक राज भाटिया)<br>सदस्य (तकनीकी) | (बिष्णु प्रसाद डोभाल)<br>सदस्य (न्यायिक) |

**विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**
**उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0**
**हल्द्वानी**
**जिला–नैनीताल**

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–144/2025
पंजीकरण तिथिः–26.09.2025
निर्णय की तिथिः– 08.10.2025

एल0जी0सुजाता, परिवादी
वकील, भोरसा,
पो0ओ0 अमृतपुर
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

**निर्णय**

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया हैः– During construction of my house in Bhorsa village in 2024, I had made a security deposit of Rs 16,000 plus an amount of 4294 which was to be refunded to me after I surrendered the temporary connection No.42300889128. I had surrendered the temporary connection on 02 September 2024 and it was disconnected; the receipt is also available. As on date the accounting system is showing an amount of -20647 which has to be refunded to me. I had also submitted the copy of cancelled cheque and id documents for the refund.

Thereafter I am getting monthly bills on my permanent connection no. **42400815067** and have been paying them promptly.

I have made several follow ups with Bhimtal office and through Mr. JE Bramhanand and also spoke many times to the customer care who assured me that the amount will be refunded to my account, but the amount has not been refunded to me till date. In

case they have deposited the amount, details regarding the same may be provided to me so that I can confirm with my bank. Please find attached the screenshot of the website showing the security amount which is due for me as refund along with id document and signed copy of this letter. Please let me know in case any other documents are required. My bank account details are as follows:

## Account No:- 01341930003553, Beneficiary Name: Lakshminarayanpuram Gopal Sujatha,

IFSC Code: HDFC0000925.

I request you to take action at the earliest and direct UPCL to issue the refund of security deposit to my account under intimation to me.

2. विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि एल0 जी0 सुजाता अमृतपूर, का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके कम में मा० मंच को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराना है:–
   - उपभोक्ता द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि रु0 20647.00 का भुगतान कर दिया गया है।
   - उपभोक्ता एल0 जी0 सुजाता अमृतपूर, द्वारा उपलब्ध कराये गये HDFC के बैंक खाता संख्या 01341930003553 में चैक संख्या 027062 दि० 17.02.2025 के माध्यम रु0 20647.00 पूर्व में ही दि० 17.02.2025 को जमा करा दिये गये हैं।

3. परिवादी द्वारा आपत्ति में कहा गया है कि Thank you for your email of 30.09.2025. Your prompt reply is greatly appreciated. I shall be present on 4th October at your office at 11 am. In the meantime, please find attached the bank account statement of my HDFC account No. 01341930003553 from February 1st 2025 to September 2025, On going through the statement, **it is clear that there is no credit entry of Rs 20,647** to my account from UPCL's account till date.

   I request that UPCL may also be directed to check their book of accounts and confirm this fact and deposit the amount of 20,647 to my above referred account No. 01341930003553 at the earliest.

4. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है:– उपभोक्ता एल० जी० सुजाता अमृतपूर, द्वारा उपलब्ध कराये गये HDFC के बैंक खाता संख्या 01341930003553 में चैक संख्या 027062 दि० 17.02.2025 के माध्यम रु0 20647.00 पूर्व में ही दि० 17.02.2025 को जमा करा दिये गये थे परन्तु सम्बन्धित बैंक द्वारा अपरिहार्य कारणों से धनराशि को उपभोक्ता के खाते में जमा नहीं किया गया! खण्ड कार्यालय द्वारा माह 04/2025 एवं 05/2025 में उपभोक्ताओं को भुगतान से सम्बन्धित कार्यवाही न किये जाने हेतु स्पष्टीकरण मांगे जाने हेतु पत्र भी प्रेषित

किये गये हैं। जिसके उपरान्त उपभोक्ता द्वारा दिये गये अपने कबैंखाते के विवरण को जांच करने हेतु बैक कार्यालय में सम्पर्क किया गया जिसके पश्चात सम्बन्धित बैंक द्वारा उपभोक्ता के खाते में भुगतान न किये जाने की पुष्टि हुई। जिसके उपरान्त एल0जी0 सुजाता अमृतपूर, को उपलब्ध कराये गये HDFC के बैंक खाता संख्या 01341930003553 में चेक संख्या 028160 दि० 04.10..2025 के माध्यम रु0 20647.00 दि० 04.10.2025 को RTGS&NEFT द्वारा जमा करा दिये गये हैं।

5. परिवादी द्वारा दिनांक 06.10.2025 को अपने प्रतिउत्तर में कहा गया है कि:– This is to inform you that further to my correspondence and meeting at your office on 4th October, the amount of 20,647 has been received from UPCL through online payment. Though interest is due for the delayed period, I waive my claim to the same and the matter may be treated as closed. Thank you for cooperation and resolving the issue.

6. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की जमानत धनराशि संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योहै।

## आदेश

विपक्षी द्वारा प वरि दी कीकशियत का समाधान कर एजाने एवं प वरि की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

**दिनांक:– 08.10.2025**

**(हिमांशु बहुगुणा)**
**सदस्य (उपभोक्ता)**

**(तिलक राज भाटिया)**
**सदस्य (तकनीकी)**

**(बिष्णु प्रसाद डोभाल)**
**सदस्य (न्यायिक)**

**आज यह णयि खु लेस्को में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।**

**दिनांक:– 08.10.2025**

**(हिमांशु बहुगुणा)**
**सदस्य (उपभोक्ता)**

**(तिलक राज भाटिया)**
**सदस्य (तकनीकी)**

**(बिष्णु प्रसाद डोभाल)**
**सदस्य (न्यायिक)**

**विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**
**उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0**
**हल्द्वानी**
**जिला–नैनीताल**

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–145/2025
पंजीकरण तिथिः–29.09.2025
निर्णय की तिथिः– 24.10.2025

आराधना शर्मा, परिवादी
एच0नंबर–65, मीरा कोट के सामने,
शीतला मुक्तेश्वर चटोला,
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

**निर्णय**

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है:– **"I am writing to formally report an issue with an unusually high electricity bill for my residential connection. My details are as follows:**

- **Name:** Mrs Aradhana Sharma
- **Address:** H No. 65 Opposite Mira Kot, Shitla Mukteshwar Chatola
- **Consumer Account (CA) Number:** 42000726359
- **Meter Number:** U456726

The bill in question is for the billing cycle of the last few months.

The total amount charged is significantly higher than our normal consumption pattern. For the past several months, our average bill has consistently been in the expected range. This recent bill is nearly double our usual amount, and

there has been no change in our electricity usage or appliances at home to justify such an increase.

I suspect there may be a fault with the installed electricity meter or an error in the meter reading.

Therefore, I kindly request you to arrange for a technician to visit my premises to inspect the meter for any potential defects or inaccuracies. Alternatively, please review the recent meter readings to check for any billing errors.

I look forward to your prompt action and a swift resolution to this matter. I can be reached at 9990090164 or 9650207315 or via this email address.

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि:– श्रीमती आराधना शर्मा, मुक्तेश्वर के कम में निम्न बिन्दुओं से अवगत कराना है

- उपखण्ड अधिकारी भीमताल की आख्या अनुसार उपभोक्ता के परिसर पर लगे मापक (संख्या **591MS01154129**) की जांच कर ली गयी है।
- जांच के उपरान्त यह पाया गया कि उपभोक्ता को मापक की रीडिंग के आधार पर ही बिल निर्गत किया गया है।
- उपभोक्ता से दूरभाष पर वार्ता किये जाने के दौरान उनके द्वारा यह बताया गया कि सम्बन्धित मीटर रीडर उपभोक्ता के परिसर पर बिल देने आता है।
- वर्तमान में उपभोक्ता के मापक की रीडिंग 11554 के0डब्लू0एच0 है जिसके आधार पर ही बिल निर्गत किया गया है। निर्गत किया गया बिल सही है।

सम्पूर्ण कार्यवाही सूचनार्थ एवं आवश्यक दिशानिर्देश हेतु प्रेषित।

3. परिवादी द्वारा दिनांकित 13.10.2025 को अपनी संतुष्टि पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि– **"My ca no 42000726359 I request you to put my complaint of mine on hold or cancel it because there is one even at my residence so please cancel this request ."**

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का निवारण कर दिया गया है। परिवादी द्वारा भी अपनी ईमेल दिनांकित 13.10.2025 के माध्यम से वाद को निरस्त अथवा **Hold** रखने के लिए अवगत किया गया है। विभाग द्वारा शिकायत का निस्तारण हो जाने के बाद वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

## आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— 24.10.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—24.10.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
## उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
## हल्द्वानी
## जिला–नैनीताल

**कोरम** 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–146/2025
पंजीकरण तिथि–29.09.2025
निर्णय तिथि–24.10.2025

हिमांशु पांडे — परिवादी
C/o शोभा पांडे
दयाल विहार फेज–1
आर०टी०ओ० ऑफिस के पास
कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

## निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र दिनांकित 29.09.2025 में कहा गया है कि मैं हिमांशु पांडे (C/o शोभा पांडे), निवासी दयाल विहार फेज 1, आरटीओ ऑफिस के पास, कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी का निवासी हूँ। मैंने लगभग डेढ़ माह पूर्व शिकायत संख्या 18004190405 दर्ज कराई थी कि मेरे घर पर लगे विद्युत मीटर की रीडिंग गलत आ रही है। मीटर तेज चल रहा है, जिसके कारण मासिक बिजली बिल अत्यधिक बढ़कर आ रहा है। उक्त शिकायत दर्ज कराने के बाद भी आज तक विभाग की ओर से कोई निरीक्षण या कार्रवाई नहीं की गई है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर मीटर की जाँच करवाई जाए तथा दोषपूर्ण मीटर को बदलकर नया मीटर लगाने की कृपा करें, जिससे उपभोक्ता को अनावश्यक आर्थिक बोझ न उठाना पड़े। कृपया इस प्रकरण को अति आवश्यक मानकर शीघ्र कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 08.10.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या–392E225139592, का अवलोकन करने पर ज्ञात है कि सभी रीडिंग के बिल सही बने हैं। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में बताया गया है कि मापक तेज चल रहा है। शिकायतकर्ता से

दूरभाष पर सम्पर्क कर चैक मापक की शिकायत रजिस्टर कर दी गई है। चैक मापक लगते ही मापक की दशा का पता चल जायेगा। जिसकी प्रति माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, कुमाऊं क्षेत्र हल्द्वानी के समक्ष प्रस्तुत है।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांक 16.10.2025 में कहा गया है कि **"Payment done for check meter receipt is attached herewith..waiting for prompt and positive action."**
4. परिवादी द्वारा प्रस्तुत संतुष्टि पत्र दिनांकित 16.10.2025 में कहा गया है कि **"Satisfactory action has been taken by the Electricity department."**
5. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। परिवादी द्वारा भी ईमेल (दिनांक 16.10.2025) के माध्यम से पत्र प्रस्तुत कर विभागीय कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त की गयी है। जिससे स्पष्ट है कि विभाग द्वारा उसकी समस्या का निस्तारण कर दिया गया है, जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

## आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—24.10.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—24.10.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

**विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच**
**उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0**
**हल्द्वानी**
**जिला–नैनीताल**

समक्षः 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–147/2025
पंजीकरण तिथिः–04.10.2025
निर्णय की तिथिः– 24.10.2025

भावना पत्नी स्व0 प्रेम लाल खती, — परिवादी
नियर–पुरानी पुलिस चौकी ज्योलीकोट,
बेलुखान,(अमुवाखाल)
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

**निर्णय**

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायती पत्र में कहा गया कि मैं भावना पत्नी स्व0 प्रेम लाल खती, नियर–पुरानी पुलिस चौकी ज्योलीकोट, बेलुखान,(अमुवाखाल) जिला–नैनीताल की स्थाई निवासी हूं। मेरे पति ने बिजली का मीटर अपने नाम पर स्थानांतरित करवाया था। जो कि मेरी सास के नाम पर था, सारे काम हो गए थे। उसकी (मीटर) फीस भी भर दी गई थी, अतः सन 2024 को सारे फाइल वाले काम भी पूर्ण करके हो गए थे सन 2025 में माह मार्च को उसके कथनानुसार मीटर लाइनमैन शेखर को दे दिया गया था। इस बीच माह मार्च में ही मेरे पति श्री प्रेमलाल खाती की मृत्यु 19 मार्च 2025 को हो गई। अतः मीटर के बाबत पूछताछ करने मैं मई में नैनीताल ऑफिस गई मगर मेरे वहां मीटर नहीं लगा जबकि मीटर यहां से जा चुका था मगर मेरे घर ना कोई आया नहीं मीटर लगा। मैं लगातार हर माह जाकर पूछताछ करती रही जबकि ऑफिस द्वारा ही पता चला कि उक्त मीटर में बिल भी बन चुका है जो की 1632 का हो चुका है। जबकि मीटर हमारे यहां लगा भी नहीं है और पुराने बिल जोकि आया करते थे वह हर माह इसी तरह आते हैं। जोकि मेरी सास के नाम से

आते हैं और हम लगातार हर माह उन दोनों को जमा भी करते आ रहे हैं। अतः आपसे सविनय ने निवेदन है कि मेरी इस समस्या का समाधान करें।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है किः—उपभोक्ता द्वारा विद्युत संयोजन से सम्बन्धित समस्या का समाधान किये जाने हेतु आग्रह किया गया है। जिसके कम में मा० मंच को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराना हैः—
   i. उपभोक्ता श्रीमती भावना पत्नी स्व प्रेम लाल, ज्योलीकोट के परिसर घर 02 किलो०वाट का मापक स्थापित कर दिया गया है। जिसकी संयोजन संख्या **591PCK271652861** है।
   ii. उपखण्ड अधिकारी की आख्या अनुसार उपभोक्ता के विद्युत सयोजन पर दि० 16.10. 2025 तक किसी भी प्रकार का बकाया शेष नहीं है।
   iii. उक्त कार्यवाही कर उपभोक्ता की समस्या का समाधान कर दिया गया है। मा० मंच को सूचनार्थ एवं आवश्यक दिशानिर्देश हेतु प्रेषित।

3. परिवादी द्वारा दिनांकित 17.10.2025 को अपने संतुष्टि पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि— मेरे द्वारा जो माननीय मंच में विद्युत संयोजन हेतु शिकायत की गई थी। विभाग द्वारा उसका समाधान कर दिया गया है। जिससे में संतुष्ट हू और शिकायत को बंद कर दिया जाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी के विद्युत संयोजन संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

**आदेश**

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— 24.10.2025

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता) | (तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी) | (बिष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

**आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित।**

दिनांकः—24.10.2025

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता) | (तिलक राज भाटिया) सदस्य (तकनीकी) | (बिष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

<u>विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच</u>
<u>उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0</u>
<u>हल्द्वानी</u>
<u>जिला–नैनीताल</u>

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

<u>वाद संख्या–04202508310001</u>
पंजीकरण तिथिः–**31.08.2025**
निर्णय की तिथिः– 09.10.2025

मंजुल सिजवाली, परिवादी
मृत्युंजय, सरदार विला,
सनलाइट एन्कलेव, सिजवाली कंपाउंड,
तल्ली बमौरी बंदोबस्त, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

<u>बनाम</u>

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)।

<u>निर्णय</u>

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः– 03 जून 2025 एवं 19 जुलाई 2025 क्रमशः शिकायत संख्या–20306250698 एव 21907250014 के साथ पंजीकृत किया गया है, मेरे निवास एवं पर बहुत कम (100 वोल्टेज से भी कम) और उतार–चढ़ाव वाली वोल्टेज आपूर्ति की समस्या के दौरान जारी किए गए विद्युत बिल के विषय में।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र दिनांक 10.09.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार विधुत संयोजन संख्या–**397A104023447**, मापक संख्या –**EM0551121** (8.00 KW) का अवलोकन करने पर ज्ञात है की सभी बिल रीडिंग के आधार पर सही बने हैं। साथ ही उपभोक्ता द्वारा अपने परिसर में वोल्टेज की

समस्या के विषय में बताया गया है जिसको उपखंड अधिकारी कमलवा गाजा चैक करवाने तथा समस्या का निवारण हेतु कह दिया गया है।

3. मंच द्वारा विभागीय उत्तर दिनांक 10.09.2025 का अवलोकन करने के पश्चात विभाग को उपभोक्ता की **MRI**/हिस्ट्री के साथ बिल का पुनः विश्लेषण कर मंच के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।
4. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.09.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार विधुत संयोजन संख्या–**397A104023447**, मापक संख्या **EM0551121** (8.00 **KW**) का अवलोकन करने पर ज्ञात है की सभी बिल रीडिंग के आधार पर सही बने थे। मा० फोरम के आदेशनुसार **MRI** हेतु कहा गया था जोकि सहायक अभियंता मापक विधुत परिक्षण खंड हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा की गई है। **MRI** प्रस्तुत है।
5. परिवादी द्वारा अपनी आपत्ति (ईमेल दिनांक 21.09.2025) में कहा गया है कि मेरी बहु प्रतिक्षित समस्या के संज्ञान लेने हेतु आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

विगत मई/जून माह में मेरे निवास स्थान पर बहुत कम (लगभग 100 Volt) व उतार–चढ़ाव वाली वोल्टेज की समस्या बनी हुई थी तथा मेरे द्वारा तत्काल यू0पी0सी0एल0 को शिकायत कर सूचित भी करा गया। जोकि वर्तमान में यू0पी0सी0एल0 द्वारा विद्युत संयोजन स्थान बदलने से ठीक है। मेरे निवास पर लगभग चार–पांच दिन पूर्व आपके आदेशानुसार विद्युत मापक की **MRI** करवाई गई। मेरी समझ में **MRI** से उल्लेखित समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। यदि यू0पी0सी0एल0 को अपने फीडर पर अपेक्षित इनपुट नहीं मिल रहा था या वोल्टेज 11000 से कम थी (जैसा कि यू0पी0सी0एल0 कर्मचारियों ने मुझे फोन पर बताया) तो मैं इस पर क्या जिम्मेदारी ले सकता हूं? इस अवधि में इतनी खपत के लिए मीटर कैसे चलता है और उस दौरान उपभोक्ता (शिकायतकर्ता) को इतना भारी बिल कैसे दिया गया! यह समझ नहीं आ रहा है! क्या कम वोल्टेज में विद्युत का इस्तेमाल करने से उपभोक्ता के मापक की गति अनियंत्रित हो जाती है? इन मामलों के जानकारों का कहना है कि कम वोल्टेज की स्थिति में विद्युत मापक अधिक खर्च (**KWH**) दर्शाता है। उक्त अवधि क दौरान शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर उचित बिल जारी करना यू0पी0सी0एल0 की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

बहुत कम और उतार–चढ़ाव वाले वोल्टेज की समस्या के रहते, मुझे बहुत अधिक खपत वाला बिल सारांश (**SMS**) मिला, यानी ₹14118/– तथा बाद में संशोधित कर ₹12784/– कर दिया गया ( विस्तृत बिल उपलब्ध नहीं कराया गया, न तो यूपीसीएल वेबसाइट में लोगिन करने पर सॉफ्ट कॉपी और न ही व्यक्तिगत रूप से हार्ड कॉपी)

बिजली की उचित अबाधित आपूर्ति उत्तराखड पॉवर रपोरेशन रेलिमिटेड (यू0पी0सी0एल) की सम्पूर्ण जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, लंबित शिकायत के दौरान उपभोक्ता को इतना भारी बिल कैसे दिया गया! क्या यह राज्य के उपभोक्ताओं को विद्युत जैसी आवश्यकीय सेवाएं विक्रय कर रही एकमात्र एजेंसी (यू0पी0सी0एल) का मनमाना पूर्ण अव्यवहारिक दृष्टिकोण नहीं है कामितों, संगवियों ति व समस्याग्रस्त ने के बावजूद भी उपभोक्ता को विवादित अवधि का विद्युत बिल जमा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है.,

जब कामित का कोई समाधान नहीं होता है, तो उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच का क्या उद्देश्य है? पूर्ववत समस्या का निराकरण न होने के बावजूद भी भारी भरकम बिल भेज कर उपभोक्ता (शिकायतकर्ता) को प्रताड़ित किया जा रहा है।

आपसे सविनय अनुरोध है कि कृपया समुचित जाँच–पड़ताल द्वारा शिकायत निवारण कर जवाब देने का कष्ट करेंगे तथा मेरी समस्याओं पर उचित समाधान अपेक्षित है।

6. विपक्षी / विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 04.10.2025 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार विधुत संयोजन संख्या–397 I104023447, मापक संख्या–**EM0551121** (8.00 **KW**) का अवलोकन करने पर ज्ञात है की सभी बिल रीडिंग के आधार पर सही बने थे। मा० फोरम के आदेश से पूर्व ही ऑनलाइन के माध्यम उपरोक्त बिल को संशोधित किया गया।
7. दिनांक 08.10.2025 को उभय पक्ष मंच में सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। विपक्षी / विभाग ने में प्रेषित संशोधित बिल गणना पर कहा कि संशोधन में परिवादी को 6471.95 रुपए का समायोजन प्रदान किया गया है। जिसके बाद बकाया राशि 10173.05 रुपया है। परिवादी ने इस गणना पर आपत्ति की तथा गणना में उचित संशोधन की मांग की। विपक्षी ने परिवादी की आपत्ति का संज्ञान लेकर गणना शीट में सुधार करते हुए मंच में पुनः संशोधित गणना शीट प्रस्तुत की। इस संशोधन के बाद परिवादी के बीजक में कुल 8569.80 रुपया का समायोजन दिया गया तथा बकाया राशि 8077.20 रूपये रह गई। परिवारी ने इस गणना पर संतुष्टि व्यक्ति की। साथ ही लो वोल्टेज की समस्या पर परिवादी द्वारा बताया गया कि विपक्षी ने फिलहाल सर्विस केबल को दूसरी लाइन पर जोड़कर समस्या का समाधान तो कर दिया है परंतु भविष्य में ऐसी समस्या ना आए इसके लिए स्पष्ट नहीं बताया है।
8. मंच द्वारा पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान कर दिया गया है जिस पर परिवादी ने भी संतुष्टि व्यक्ति की है, परंतु परिवादी ने भविष्य में लो वोल्टेज की समस्या के स्थाई समाधान की मांग की है जो

कि मंच के मत में सही है, विपक्षी द्वारा परिवादी को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति किया जाना उसका दायित्व है।

## आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के परिसर में विद्युत आपूर्ति की विद्युत लाईन एवं परिवादी के परिसर का निरीक्षण करें तथा परिवादी को उचित वोल्टेज पर आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक होने पर जरूरी सुधार करें। परिवाद तद्नुसार निस्तारित। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वय वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— 09.10.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः— 09.10.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202509160001
पंजीकरण तिथि–16.09.2025
निर्णय तिथि–04.10.2025

शान्ति त्रिपाठी — परिवादी
पंचशील कालौनी
पीलीकोठी, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

निर्णय

1.परिवादी द्वारा CGRF- Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा है कि "I have not been receiving my electricity bill since February 2025."

2.विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार विधुत संयोजन संख्या–392E125485201 मापक संख्या–658745 (2.00 KW ) का अवलोकन करने पर ज्ञात है की सभी पूर्व मे बिल रीडिंग के आधार पर सही बने हैं। उपभोक्ता से दूरभाष पर जानकारी ली गयी तो पता हुवा की माह 02/2025 से बिल नहीं बना है। शिकायतकर्ता द्वारा दूरभाष पर बताया कि वह वर्तमान में शहर से बाहर है शाम तक ही घर मे आएँगी तभी रीडिंग की जाएगी। माननीय फोरम से निवेदन है की शाम को रीडिंग प्राप्त होते ही बिल बना दिया जायेगा जिसकी एक प्रति शिकायतकर्ता तथा माननीय फोरम के समक्ष भी प्रस्तुत कर दी जाएगी। अतः माननीय फोरम से निवेदन है की वाद को निरस्त करने का कष्ट करें।

3.परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतित्तर/संतष्टि पत्र दिनांकित 03.10.2025 में कहा गया है कि "Complaint resolved. "

क्रमशः

4.मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। परिवादी ने विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त करते हुये दिनांक 03.10.2025 को ईमेल के माध्यम से अपना संतुष्टि पत्र मंच में प्रस्तुत किया। अतः विपक्षी द्वारा की गयी कार्यवाही एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—04.10.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—04.10.2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

क्रमशः

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया,सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202509270001
पंजीकरण तिथि–30.09.2025
निर्णय तिथि–24.10.2025

पवन कुमार जोशी, परिवादी
पीलीकोठी
श्यामा गार्डन वेस्ट
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी ने CGRF- Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा है कि "Earlier I was given a unit cahrge of 4.78 for remaining units of soalr units , but in latest bill only 4.1 is given .And when I will get the remaining negitive bill of aprox 2100 though I have received a 6800 amount but some is still negitive."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार विद्युत संयोजन संख्या–392KS01123133, मापक संख्या–508056 (2.00 KW) का अवलोकन करने पर ज्ञात है कि सभी रीडिंग के सही बिल बने हैं। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में बताया है कि पूर्व मे उनके सोलर पर Rs. 4.78 की दर से छूट दी जाती रही थी, लेकिन वर्तमान में Rs. 4.10 की दर से छूट दी जा रही है। शिकायतकर्ता से दूरभाष पर सम्पर्क कर उनको बताया गया है कि UERC की पिटीशन सं0–51 of 2025 (Suo-

Moto) दिनांक 20.08.2025 को जारी एक आदेश के तहत वर्तमान में Rs. 4.10 की दर से बिल मे छूट दी जा रही है।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 16.10.2025 में कहा गया है कि "I am satisfied with the unit amount but when I will get my remaining negitive bill amount."
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा RTGS स्टेटमेंट प्रस्तुत करते हुये कहा गया कि दिनांक 03.09.2025 को ₹6819.00 की धनराशि परिवादी के एस0बी0आई0 खाते में प्रेषित किए गए हैं। परिवादी ने भी स्वीकार किया कि यह धनराशि उनके खाते में आ चुकी है शेष राशि के लिए विपक्षी द्वारा बताया गया कि दिसम्बर माह में उस वक्त की नेट मीटरिंग के हिसाब से बिल में दर्शित शेष धनराशि प्रेषित की जायेगी। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरुप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

## आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की समस्या का समधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश/निर्णय प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–24/10/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–24/10/2025

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

**विद्युत उपभोक्ता शिकाय त विार मंच**
**उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0**
**हल्द्वानी**
**जिा– नैनीतल**

**कोरम** 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202509290001
पंजीकरण तिथिः–30.09.2025
निर्णय की तिथिः– 24.10.2025

फकीर राम, पचिा दी
आर0के0 टैंट हाउस, कुसुम खेड़ा हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल,

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी।

**निर्णय**

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है:– **"The bill of 1 moth is approx 4000 which is very high please reverify the bill."**

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि– उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार विद्युत संयोजन संख्या–**392E124120539** मापक संख्या–**EM6176** (**2.00 KW**) का अवलोकन करने पर ज्ञात है कि सभी रीडिंग के सही बिल बने हैं। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत मे बताया है की मापक रीडिंग नहीं दे रहा है। चेक करने पर ज्ञात हुआ की मापक खराब की पूर्व मे शिकायत **22909250178** से दर्ज की गयीहै। इसके सम्बन्ध मे मापक खंड को शिकायत से अवगत करा दिया गया हैं। आज दिनांक 08/10/2025 को खराब मापक बदल दिया जायेगा। जिस की प्रति

माननीय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी के समक्ष प्रस्तुत है।

3. परिवादी द्वारा दिनांकित 15.10.2025 को अपनी संतुष्टि पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि– **"The meter has been changed. Please close the complaint. Thankyou for your help."**

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी के मीटर संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

## आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

**दिनांकः– 24.10.2025**

| | | |
|---|---|---|
| **(हिमांशु बहुगुणा)** | **(तिलक राज भाटिया)** | **(बिष्णु प्रसाद डोभाल)** |
| **सदस्य (उपभोक्ता)** | **सदस्य (तकनीकी)** | **सदस्य (न्यायिक)** |

**आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।**
**दिनांकः–24.10.2025**

| | | |
|---|---|---|
| **(हिमांशु बहुगुणा)** | **(तिलक राज भाटिया)** | **(बिष्णु प्रसाद डोभाल)** |
| **सदस्य (उपभोक्ता)** | **सदस्य (तकनीकी)** | **सदस्य (न्यायिक)** |

# OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
## KUMAOUN ZONE, HALDWANI

**Case No.:04202510020001**
**Shri/Smt. KC Lohani** **V/S** **Executive Engineer.. Haldwani(T)**

## ORDER SHEET

| Signature | Date | Order | Next Date |
|---|---|---|---|
| | | आदेश | |
| | 25.10.2025 | पत्रावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत पर पूर्व में ही आख्या प्रेषित की जा चुकी है। जिसकी प्रति परिवादी को टिप्पणी/आपत्ति हेतु प्रेषित की गयी थी। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत लेजर के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 03/10/2025 को रुपये 3675.00 के भुगतान को समायोजित किया जा चुका है। सितम्बर माह तक के बिलों का पूर्ण भुगतान किया गया है, मात्र अक्टूबर का बिल भुगतान हेतु देय है। अतः शिकायत का समाधान हो जाने पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। | निस्तारित |

हिमांशु बहुगुणा (सदस्य उपभोक्ता) तिलक राज भाटिया (सदस्य तकनीकी) विपिन प्रसाद ओझा (सदस्य न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–तिलक राज भाटिया सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202510060001
पंजीकरण तिथिः–06.10.2025
निर्णय की तिथिः– 24.10.2025

महेश चन्द्र पाण्डेय, परिवादी
दुर्गापाल मोतीराम, आयुर्वेक हॉस्पिटल,
हल्दचौड़, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी।

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है:– **"My solar roof top solar plant installation completed on 22 march 2025 but bill not generated till now."**

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार विधुत संयोजन संख्या–3911001130393, का अवलोकन करने पर ज्ञात है कि सोलर रूफटोप की बिलिंग प्रारम्भ हो गयी हैं। एक्सपोर्ट तथा इम्पोर्ट के आधार पर बिल बनाया गया है बिल मे सोलर की छुट मिलना भी आरम्भ हो गयी है। जिसकी प्रति माननीय विधुत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, कुमाऊँ क्षेत्र, हल्द्वानी के समक्ष प्रस्तुत है।

3. परिवादी द्वारा दिनांकित 16.10.2025 को अपनी संतुष्टि पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि– **"Now bill generated from upcl, grievance can closed.."**

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी सोलर रूफटॉप की बिलिंग संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

## आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— **24.10.2025**

| | | |
|---|---|---|
| (हिमांशु बहुगुणा) | (तिलक राज भाटिया) | (बिष्णु प्रसाद डोभाल) |
| सदस्य (उपभोक्ता) | सदस्य (तकनीकी) | सदस्य (न्यायिक) |

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—**24.10.2025**

| | | |
|---|---|---|
| (हिमांशु बहुगुणा) | (तिलक राज भाटिया) | (बिष्णु प्रसाद डोभाल) |
| सदस्य (उपभोक्ता) | सदस्य (तकनीकी) | सदस्य (न्यायिक) |

## OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
## KUMAOUN ZONE, HALDWANI

**Case No.:04202510100001**

**Shri/Smt. Krishan Nandal** **V/S** **Executive Engineer.. Nainital**

## ORDER SHEET

| Signature | Date | Order | Next Date |
|---|---|---|---|
| | 14.10.2025 | ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। विपक्षी/विभाग को दिनांक 25.10.2025 तक उत्तर पत्र प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी करें। | 25.10.2025 |
| | 24.10.25 | आदेश<br>पत्रावली प्रस्तुत। परिवादी द्वारा व्हाट्सऐप माध्यम द्वारा सूचित किया गया है कि उनकी समस्या का UPCL द्वारा समाधान कर दिया गया है। अतः इस वाद को निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। | निस्तारित |

हिमांशु बहुगुणा (सदस्य उपभोक्ता) तिलक राज [illegible] (सदस्य तकनीकी) विष्णु प्रसाद डोभाल (सदस्य न्यायिक)